उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–5

संविधान के अनुच्छेद 348 की खण्ड (3) के प्रावधानों के अनुपालन में राज्यपाल महोदय, अधिसूचना संख्या 1294 दिनांक 18.03.2020 के निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन करने का आदेश देते है।

अधिसूचना

संख्या–1294 / 9–5–2020–162–SA / 2020

लखनऊ, दिनांक 18–03–2020

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1959) की धारा 114, 124, 420 और 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारुप अधिनियम 1916 की धारा 300 के उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सर्वसाधारण की सूचना के लिये और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इस प्रस्तावित नियमावली के संबंध में आपत्तियों व सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हे लिखित रुप से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या–824, बापू भवन, लखनऊ 226001 को भेजा जाना चाहिए। ऐसे प्रेषित आपत्तियों व सुझावों पर ही विचार किया जाएगा, जो राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के 15 दिनों की अवधि में प्राप्त होंगे।

प्रारुप नियमावली

उत्तर प्रदेश नगर नियम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1916) की धारा 114, 124, 420 और 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1916) की धारा 153 और 296 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य के नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विनियम एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली प्रतिपादित करते हैं।

उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2020

प्रस्तावना

सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नगरीय निकायों का मूलभूत उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट या कचरे के प्रबंधन में अपशिष्ट को घटाने, उनके पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण और निस्तारण करने के अनुक्रम को लागू करना चाहिए।

अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण और पृथक्करण के समय ही अपशिष्ट के स्रोत पर ही यथाशीघ्र उसका निस्तारण करने के उपाय अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वाधिक किफायती और व्यावहारिक तरीका है।

अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण एक वैज्ञानिक समस्या है और इसे तकनीकि उपायों का प्रयोग कर वैज्ञानिक रुप से हल किया जाना चाहिए।

अध्याय—1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः

(1) इन नियमावली को उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2020 के नाम से जाना जाएगा। राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ये प्रभावी होगी।

(2) इस विषयवस्तु के सम्बंध में राज्य के किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा बनाये गए किसी भी नियम या दिशा—निर्देशे पर यह नियमावली प्रतिकूलता की सीमा तक अधिभावी होगी।

(3) किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित किसी भी नियम से प्रतिकूलता की स्थिति में यह नियमावली ही प्रभावी होगी।

2. परिभाषाः

(1) इस नियमावली के अधीन, यदि भिन्न संदर्भ न हो तो,

(क) **"एजेंसी अथवा एजेंट"** का अर्थ उस इकाई/फर्म/कंपनी/स्वयं सेवी संस्था/सिविल सोसाइटी समूह अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त अथवा अधिकृत किया गया है;

(ख) **"वातजीवी कम्पोस्टीकरण"** से ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ग) **"अवायुजीवी उपचारण"** से ऑक्सीजन के आभाव में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ध) **"प्राधिकार"** से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी सुविधा के प्रचालक या नगरीय स्थानीय निकाय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के उत्तरदाई किसी अन्य अभिकरण को दी गयी अनुज्ञा अभिप्रेत है;

(ड.) **"जैविक रुप से अपघटित अपशिष्ट"** से कोई ऐसी कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतम टिकाऊ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता है;

(च) **"जैविक मिथेनीकरण"** से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें मिथेन से भरपूर जैव गेस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एंजाइमी अपघ्टन को अपरिहार्य बनाता है;

(छ) **"ब्रांड स्वामी"** से कोई व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेबल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है;

(ज) **"मध्यवर्ती परिक्षेत्र"** से ऐसा विकास रहित परिक्षेत्र है जिसमे 5 टीपीडी से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण तथा निपटान संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जाएगा;

(झ) **"ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक"** से ऐसे अपशिष्ट उत्सर्जक अभिप्रेत है जो औसतन 100 किग्रा0 प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्सर्जित करते है तथा इनमें केन्द्रीय सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसर द्वारा अधिकृत भवन भी है;

(ञ) **"जनगणना नगर"** से भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा परिभाषित नगरीय क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) **"ज्वलनशील अपशिष्ट"** से प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्री को छोडकर गैर–जैवअवक्रमणीय, गैर पुनर्चक्रणीय, गैर पुनः उपभोज्य, गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट अभिप्रेत है जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति किग्रा0 से न्यूनतम कैलोरीफिक मान हो;

(ठ) **"कम्पोस्टीकरण"** से जैविक पदार्थ का सूक्ष्मीकरण अपघटन अंतर्वलित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ड) **"ठेकेदार"** से ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने की संविदा करता है या करती है;

(ढ) **"सह प्रसंस्करण"** से प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित या उन्हे अनुपूरित, दोनो को करने के लिए कच्ची सामग्री के रुप में या ऊर्जा के स्रोत के रुप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरीफिक मूल्य वाले गैर जैव अवक्रमणीय और गैर पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोगे अभिप्रेत है;

(ण) **"विक्रेंद्रित प्रसंस्करण"** से जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापाना और उत्सर्जन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य

सामग्रियों की प्रति प्राप्ति करना अभिप्रेत है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े;

(त) **"निपटान"** से भूजल, सतही जल, परिवेश वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए उपयुक्त भूमि पर प्रसंस्करण के उपरान्त अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूडा–करकट और सतही नाले की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान अभिप्रेत है;

(थ) **"घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट"** से घरेलु स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियाँ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियाँ, प्रयुक्त सुइयाँ तथा सिरिन्ज और संदूषित पट्टियाँ आदि अभिप्रेत है;

(द) **"द्वार–द्वार संग्रहण"** से घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठनों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेंट, बडे आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कॉम्प्लेक्स या परिसरों में भूतल या प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना भी अभिप्रेत है;

(ध) **"शुष्क अपशिष्ट"** से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा–करकट से भिन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाह्य अपशिष्ट, और स्वास्थ्यकर नैपकीन, डाइपर आदि अपशिष्ट भी है;

(न) **"क्षेपण स्थल"** से जिसका स्वास्थ्यकर भूमि भरण के लिए सिद्धातों का पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की गयी कोई भूमि अभिप्रेत है;

(प) **"विस्तारित उप्तादक दायित्व"** से पैकेजिंग उत्पादों के जीवन काल के अंत तक पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए, पैकेजिंग उत्पादों जैसे प्लास्टिक, टिन, काँच और कॉरुगेटेड बक्सों इत्यादि के किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(फ) **"सुविधा"** से ऐसा कोई स्थापना अभिप्रेत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएं अर्थात पृथक्करण पुनः प्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण , उपचार या सुरक्षित निपटान किया जाता है;

(ब) **"संचालन/प्रहस्तन"** के अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों की छटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनः प्राप्ति, संग्रहण, गौड़ भंडारण, काटना, गट्ठा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित सभी क्रियाकलाप भी है;

(भ) **"निष्क्रिय"** से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो जैव अपघटनीय, पुनःचक्रणीय या दाह्य नहीं है, गली की सफाई तथा सतही नालियों से निकली गई धूल तथा गाद भी है;

(म) **"भस्मीकरण"** से उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रुप से निम्नीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट का जलाना या दहन अंतर्वलित इंजीनियरीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(य) **"अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक"** के अन्तर्गत व्यक्ति, समूह ऐसे अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित है जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई, विक्रय और खरीद से अंतर्वलित है;

(फ) **"निक्षालितक"** से ऐसा द्रव अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है जिसमें उसमे घुली हुई या निलंबित सामग्री का सत्व है;

(ल) **"नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय"** का अर्थ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) ओर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) के अन्तर्गत अधिसूचित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पालिका/ नगरीय स्थानीय निकाय है;

(व) **"सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) से"** ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहां गैर कम्पोस्टीय ठोस अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या अन्य अधिकृत इकाई या इसमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या एजेंसी जो अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निपटान के लिए उसे सौंनपे या देने से पूर्व इस प्रयोजन के लिए स्थानीय निकाय या इकाई द्वारा नियोजित अपशिष्ट चुनने वाले, अनौपचारिक पुनर्चक्रणर्ता या काई अन्य नियोजित कार्यबल को प्राधिकृत अनौपचारिक सेक्टर द्वारा अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों के पृथक्कण, छटाई या पुनर्चक्रण योगय की पुनर्प्राप्ति की प्रसुविधा है;

(श) **"अजैविक निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट"** से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतम स्थायी यौगिक में निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है;

(ष) **"अधिवासी"** में यह सम्मिलित है—कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान समय में उस भूमि या भवन के स्वामी को उस भूमि या भवन या उसके किसी भी हिस्से का किराया या किराये के किसी भी हिस्से का भुगतान कर कर रहा है या करने का उत्तरदायी है, भले ही उसने उस भूमि या भवन या उसके भाग को किसी भी उपयोग के लिए ले रखा है;

(अ) कोई भूस्वामी जो अपनी भूमि, भवन पर काबिज है और उसका उपयोग कर रहा है;

(ब) किसी भी भूमि या भवन का किराया ना देने वाला अधिवासी या कब्जेदार;

(स) किसी भवन या भूमि का अधिवासी या कब्जेदार जो उसका अनुज्ञापी हो; और

(द) कोई भी व्यक्ति जो स्वामी को किसी भी प्रकार के कब्जे या उस अवधि में किसी प्रकार कर हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं;

(ई) नगरीय स्थानीय निकाय की भौगोलिक सीमा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी कार्यालय या स्थापन का कार्यालय प्रभारी;

(स) **"सुविधा का प्रचालक"** से ऐसा व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन के लिए सुविधा का स्वामी है या प्रचलित करता है जिसके अन्तर्गत स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य अस्तित्व या अभिकरण भी है;

(ह) **"प्राथमिक संग्रहण"** से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्रोत जिसके अन्तर्गत घर, दुकानें, कार्यालय और कोई अन्य गैर आवासीय परिसर भी है से या किसी संग्रहण बिंदु या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संग्रहीत करना, उठाना या हटाना अभिप्रेत है;

(क्ष) **"प्रसंस्करण"** से कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः चक्रित या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना अभिप्रेत है;

(त्र) **"पुनर्चक्रण"** से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रुप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें मूल उत्पादों को समरुप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा।

(ज्ञ) **"पुनर्विकास"** से जहां विद्यमान भवन और अवसंरचनाएं जीर्ण शीर्ण हो गयी हैं वहां उसी स्थल पर पुरानी आवासीय या वाणिज्यिक भवनों का पुनर्निर्माण अभिप्रेत है;

(खक) **"कचरा व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ)"** से ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरोनीकृत पदार्थो से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संहनन द्वारा गुटिका या रोएँ के कप मे उत्पादित बाह्रय अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन्न ईंधन अभिप्रेत है;

(खख) **"अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट"** से और उसके अन्तर्गत ऐसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जो पुनर्चक्रण या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं है से प्राप्त अपशिष्ट और अस्वीकृत भी अभिप्रेत है;

(खग) **"स्वास्थ्यकर भूमिभरण"** से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के अंतिम और सुरक्षित निपटान और भूजल, सतहीजल या क्षण भंगुर वायु धूल, हवा से उडा हुआ कूड़ा–करकट, दुर्गंध, अग्नि परिसंकटमय, पशुओं का खतरा, पक्षियों का खतरा, नाशकजीव, कृंतकनाशी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत् जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षाात्मक उपायों सहित प्रकल्पित सुविधा में भूमि पर निष्क्रिय अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(खघ) **"स्वास्थ्यकर अपशिष्ट"** से प्रयोग किए गए डाइपर, स्वास्थ्यकर तौलिये या नैपकीन, टैम्पोन, कंडोम, इंकटिनेस शीट और कोई अन्य समरुप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(खङ.) **"अनुसूची"** से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत हैं;

(खच) **"गौण भंडारण"** से प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को अपशिष्ट के आगे परिवहन के लिए गौण भंडारण डिपो या एमआरएफ या आधानों पर संग्रहण के पश्चात ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संदूषक अभिप्रेत है;

(खछ) **"पृथक्करण"** से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटनों अर्थात जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अन्तर्गत कृषि और दुग्ध पालन अपशिष्ट अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अन्तर्गत पुनः चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर चक्रण योग्य, दाह्य योग्य अपशिष्ट, स्वास्थकर अपशिष्ट और गैर चक्रण योग्य कूड़ा करकट अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा संनिर्माण और विध्वंश अपशिष्ट भी है, की छटाई और पृथक भंडारण अभिप्रेत है;

(खज) **"सेवा प्रदाता"** से जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि अभिप्रेत है;

(खझ) **"ठोस अपशिष्ट"** से ठोस या अर्धठोस घरेलू अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण और अन्य अस्तित्व के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई, सतह नालियों से हटाई गई या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और डेरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट कों छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सक अपशिष्ट और ई–अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट भी अभिप्रेत है;

(खञ) **"छंटाई करना"** से मिश्रित अपशिष्ट से पुनः चक्रणयोग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा से पृथक करना अभिप्रेत है;

(खट) **"स्थिरीकरण''** से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को जैवीय अपघटन को स्थायी अवस्था में परिवर्तित करना अभिप्रेत है जहां वह निक्षालन या अरूचिकर सुगंध उत्पन्न नहीं करता है और कृषि भूमि, भू कटाव नियन्त्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त है;

(खठ) **"मार्गविक्रेता"** से किसी गली, लेन, पाशर्व पथ, पैदल पथ, खड़ंजा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थाई रूप से निर्मित संरचना या स्थान या स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, मॉल, सौदा, खाद्य सामाग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत फेरीवाला, ठेलेवाला, खोमचा तथा ऐसी सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते है, भी है और "मार्ग विक्रय" शब्दों को उनके व्याकरणिक रूप भेडों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल किया जाएगा।

(खड) **"अंतरण स्थल"** से संग्रह क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने को सृजित सुविधा और अपशिष्ट प्रसंस्करण और, या निपटान सुविधा को आच्छदित यानो या आधानों में बड़ी मात्रा में परिवहन अभिप्रेत है;

(खढ) **"परिवहन"** से ठोस से अपशिष्ट चाहे वह या तो उपचारित आंशिक उपचारित या अनुपचारित को एक स्थान से दूसरे स्थान से किसी पर्यावरणीय रूप से युक्ति युक्त रीति में विशिष्ट रूप से अभिहित और आच्छादित परिवहन प्रणाली जैसे दुर्गन्ध, कूड़ा कचरा और घृणित दशा को रोकने के लिए प्रवहन अभिप्रेत है;

(खड़) "**उपचार"** से किसी अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या संगठन में रूपातंरण की अभिहित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे उसके आयतन और क्षितिकारक क्षमता को कम करता है;

(खत) "**उपयोक्ता फीस/प्रयोक्ता प्रभार"** से ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं को उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने में अपशिष्ट जनित करने वाले/ अपशिष्ट उत्सर्जक पर स्थानीय निकाय और या किसी इकाई द्वारा अधिरोपित फीस अभिप्रेत है;

(खथ) "**कृमि कम्पोस्ट बनाना"** से केंचुओं का प्रयोग करते हुए कम्पोस्ट में संपरिवर्तित करने की जैव निम्नीकरण प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(खद) "**अपशिष्ट जनित्र"** से और इसके अंतर्गत सम्मिलित से, रेल तथा रक्षा स्थापनाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तिओं का समूह या प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय संस्थापनाएँ भी है, जो ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित करते है, अभिप्रेत है;

(खध) "**अपशिष्ट की क्रमबद्धता"** से ऐसा प्राथमिकता क्रम अभिप्रेत है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निवारण, कटौती, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए जिसमें निवारण को सर्वाधिक प्राथमिकता और भू–भरण में निपटान को न्यूनतम वरीयता का विकल्प होगा;

(खन) "**अपशिष्ट चुनने वाला"** से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत से पुनः उपयोजनीय तथा पुनः चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और साथ ही पुनःचक्रको को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यमवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए गलियों, डिब्बों, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से अपशिष्ट उठाने में औपचारिक रूप से लगे हुए हैं;

(2) इसमें प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल (प्रदूषण

निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में परिभाषित है, के अर्थ होंगे जो सम्बंधित अधिनियमों में है;

अध्याय 2

हितधारकों के कर्तव्य

क.—पृथक्करण

3. अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के कर्तव्यः—

(क) थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं सहित प्रत्येक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता का दायित्व होगा कि स्वयं द्वारा जनित अपशिष्ट को निम्न तीन प्रकार से अलग करते हुए संग्रहीत करेंगेः— जैव—निम्नीकरण योग्य, अजैविक निम्नीकरण योग्य (पुनर्चक्रणीय) और परिसंकटमय (घरेलू या वाणिज्यिक) अपशिष्ट (गैरपुनर्चक्रणीय)। उपरोक्तानुसार पृथक्कृत अपशिष्ट को तीन अलग—अलग समुचित प्रकार के कचरे के डिब्बों में रखा जायेगा, और समय—समय पर प्रभावी निदेशानुसार उपरोक्त पृथक किए गए अपशिष्टों को अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या इस हेतु अधिकृत कचरा संग्रह करने वालों को सौंपा जायेगा।

(ख) उपयोग किये गये सेनेटरी अपशिष्ट जैसे डायपर्स और सैनेटरी पैड आदि को इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त सामग्री में लपेटा जायेगा, तथा उसे शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए बनाए गए कचरे के डिब्बे में डाला जायेगा।

(ग) सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बाजार संघ और व्यापारिक प्रतिष्ठान पृथक्कृत अपशिष्ट का संग्रहण/स्टोरेज अपने प्रतिष्ठानों के परिसर (आन साईट) पर ही करेंगे।

(घ) जब कभी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट किसी परिसर में उत्सर्जित होगा तो उत्सर्जक/परिसर के स्वामी द्वारा इस प्रकार जनित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भंडारित किया जायेगा, और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उसका निस्तारण निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार कराया जायेगा।

(ड.) कृषि जनित अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट जिस परिसर में उत्पन्न होंगे वहीं अलग से रखें जायेंगे, और समय—समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशों के अनुसार इसका निपटान किया जा सकेगा। इसे जैविक निम्नीकरण सामग्री (गीला कचरे) के रूप में रखा जायेगा और इसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निकटस्थ कम्पोस्टिंग संयत्रों में ले जाया जायेगा।

(च) प्रत्येक पटरी दुकानदार अपने क्रिया—कलाप के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, फेकने योग्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों इत्यादि अपशिष्ट के समुचित संग्रहण और भण्डारण के लिए यथा आवश्यकतानुसार दो या तीन उपयुक्त प्रकार के कचरे के डिब्बे रखेगा और इस प्रकार संग्रहीत अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय

निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे कचरे के भंडारण हेतु चिन्हित स्थल/डिपो या निर्दिष्ट किए गए कचरे के डिब्बे या वाहन में डालेगा।

(छ) सभी थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता, आवासीय कल्याण समितियां, सभी द्वारबंद आवासीय परिसर (गेटेड कम्युनिटीज) और ऐसे प्रतिष्ठान/संस्थान इत्यादि जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक है, इन समस्त द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी कर बनाये गए नियमों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथक किया जाये, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग कचरे के डिब्बों में संग्रहण किया जाये, पुनर्चक्रीय सामग्री को या तो अधिकृत किए गए संग्राहकों को सौंपेंगे, या अधिकृत पुनर्चक्रण करने वालों को सौंपेंगे। जहां तक सम्भव होगा, जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का परिसर में ही कम्पोस्टिंग या बायो–मीथेन प्रक्रिया के जरिए प्रसंस्करण, उपचार और निपटान किया जाएगा।

(ज) अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि अजैविक निम्नीकरणीय अपशिष्ट (सुखा कचरा), जैसे पैकेट, खाने के डिब्बे, सामान्य डिब्बे, बोतलें, टेट्रापैक, गत्ते, कागज के कप, प्लेज और अन्य फेंकने–योग्य अपशिष्ट को साफ कर सुखाकर ही उसे प्रभावी पुनर्चक्रण के लिये नगरीय स्थानीय निकाय को सौंपा जाय।

(झ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी श्रृखंला यानी अपशिष्ट उत्सर्जन से लेकर प्रसंस्करण की प्रक्रिया में कहीं भी किसी के द्वारा ठोस अपशिष्ट के साथ किसी प्रकार के जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट, परिसंकटमय अथवा औद्योगिक अपशिष्ट का किसी प्रकार का मिश्रण नहीं किया जाना चाहिए।

(ञ) अवशेष अपशिष्ट (रेसीड्यूल वेस्ट) को अपशिष्ट संग्रहकर्ता, अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित एजेंसी को दिया जाना चाहिए।

(ट) कोई भी व्यक्ति अथवा वेंडर, दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं गैर–जैविक निम्नीकरण कचरा विनियमन (उत्तर प्रदेश एक्ट संख्या 20, 2000) अधिनियम 2000, यथा संशोधित 2018, द्वारा प्रतिबंधित डिस्पोजेबल सामग्री/वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा।

4. कुक्कुट पालन, मतस्य पालन, वधशाला अपशिष्ट जनितकर्ता के कर्तव्य (निर्दिष्ट वधशालाओं /बाजार के अतिरिक्त):–

निर्दिष्ट वधशालाओं/बाजार के अतिरिक्त ऐसे किसी परिसर के स्वामी/अधिवासी, जहां वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार का कुक्कुट, मतस्य, अथवा वधशाला अपशिष्ट उत्पन्न होता है, इस अपशिष्ट को एक अलग बंद कचरे के डिब्बे में स्वच्छ स्थिति में संग्रहीत करेंगे और प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय पर इसे स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा ऐसे अपशिष्ट को संग्रहीत करने के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन को सौंपेंगे। इस श्रेणी के किसी अपशिष्ट का सामुदायिक पात्रों में रखा जाना प्रतिबंधित है और ऐसा करने की स्थिति में अर्थदंढ अनुसूची (अनुसूची 3) में वर्णित प्राविधान के अनुसार लगाया जायेगा।

5. पटरी विक्रेताओं/फेरीवालों के कर्तव्यः—

सभी पटरी विक्रेता/फेरीवाले अपने विक्रय स्थल पर ही उत्सर्जित हुए जैव—निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट (गीला कचरे) और अन्य अपशिष्ट को अलग करके उसे अलग—अलग कचरे के डिब्बों में रखेंगे। अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता/विक्रेता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उचित प्रकार से पृथक्कृत (अलग—अलग) किये हुए इस कचरे को नगरीय स्थानीय निकाय के संग्रहण वाहन में अथवा इस हेतु निर्दिष्ट किये हुए निकटतम सामुदायिक कचरे के पात्र में डालेगा। प्रत्येक पटरी विक्रेता/फेरीवाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि वो अपना 'आंगन' स्वच्छ रखे, यदि स्वामी अथवा विक्रेता नियमावली के प्राविधानों के अनुपालन में विफल रहते हैं तो उनपर अर्थदंड अधिसूची के अनुसार अर्थदंड लगाया जायेगा।

6. नालों/नालियों के संबंध में कर्तव्यः—

(i) जिन भी परिसरों के किनारे नाले या नालियॉ स्थित है, उनके स्वामियों या अधिवासियों का उत्तरदायित्व है कि वे इन्हें स्वच्छ रखे और इसमें कोई भी अपशिष्ट ना ही फेंका जाय और ना ही इसमें डाला जाय। यह परिसर के स्वामी या अधिवासी का दायित्व है कि वह परिसर में उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण करते हुए उसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट स्थान एवं निर्धारित समय पर इसके संग्रहण हेतु अधिसूचित संग्रहक वाहन को सौंपे। परिसर के भीतर स्थित नालों, नालियों को परिसर के स्वामी अथवा अधिवासी स्वच्छ रखेगें। यदि इनमें कोई अपशिष्ट एकत्र होता है तो अधिवासी उसे साफ करेगा, उसका पृथक्करण करेगा और उसे नगरीय स्थानीय निकाय को सौंपेंगे अथवा नगरीय स्थानीय निकास द्वारा ऐसे अपशिष्ट संग्रहण हेतु चिन्हित ऐसे किसी भी स्थान पर रखेगा जो निर्धारित किया गया हो।

(ii) परिसरों के स्वामी/अधिवासी यदि अपने परिसर में स्थित किसी नाली की स्वच्छता हेतु नगरीय स्थानीय निकाय की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय के संबंधित स्थानीय निकाय कार्यालय में आवेदन करना होगा, और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा समय—समय पर इस हेतु अधिसूचित निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। स्वामी/अधिवासी का यह दायित्व होगा कि वह सफाई के प्रयोजनों के लिए नाली तक पहॅुचने का रास्ता प्रदान कराए।

(iii) नगरीय स्थानीय निकाय का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह नगर में बरसाती नालों/नालियों को अपशिष्ट अथवा कूड़े से मुक्त रखे।

7. भंडारा/लंगर के आयोजकों के कर्तव्यः—

प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह जो किसी प्रकार का भंडारा या लंगर आयोजित कर रहा हो, उसके द्वारा आयोजन स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु (जनित कचरे को अलग–अलग रखे जाने के लिए) समुचित प्रकार के कचरे के डिब्बे रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. शासकीय नियंत्रण और स्वामित्व वाले संस्थानों के उत्तरदायित्व,

(1) सरकारी/अर्ध–सरकारी, वैधानिक संस्थान, अपने स्वामित्व एवं कब्जे के अन्तर्गत जो भी सार्वजनिक परिसर है उन समस्त परिसरों में इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे,

(2) नगरीय स्थानीय निकाय और/अथवा नगरीय नगर विकास विभाग, अधिसूचना के द्वारा, किसी भी श्रेणी के अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं को उनके ठोस अपशिष्ट को किसी अतिरिक्त श्रेणीयों में पृथक रखने हेतु निर्दिष्ट कर सकेंगे जो कि उक्त अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता पर बाध्यकारी होगा,

(3) इन नियमों का कोई भी प्रभाव किसी उत्सर्जनकर्ता के उस दायित्व पर नही पडेगा, जो कि वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक नियम के अन्तर्गत उन्हे स्वयं द्वारा जनित अपशिष्ट को अतिरिक्त श्रेणीयों में रखे जाने हेतु उन पर प्रभावी है,

ख–ठोस अपशिष्ट का प्राथमिक भंडारण (स्टोरेज)

9. ठोस अपशिष्ट का भंडारण (स्टोरेज) निम्न प्रकार से होगा,

(क) प्रत्येक निजी संपत्ति के स्वामी अथवा अधिवासी अपने परिसर में समुचित संख्या में कचरे के डिब्बों को रखे जाने की ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कचरा सार्वजनिक सड़क, मार्ग या फुटपाथ से ना दिखाई दे और ना ही वह पशुओं की पहुंच में हो,

(ख) थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता अथवा व्यक्तिगत अपशिष्ट उत्सर्जक के समूह, जिनमें बहुमंजिला इमारतें, अपार्टमेंट्स रो–हाउस किराए के घर, टाउन्सिप, छात्रावास पार्क, मॉल्स, सरकारी अथवा निजी आवासीय कालोनियां अथवा सोसायटी, दुकान कार्यालय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सुविधाएं, उद्योगो, घरेलू उद्योग आदि शामिल है, इन समस्त के परिसर के भीतर अलग–अलग कर पृथक्कृत किये जाने वाले अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपयुक्त आकार, रंग और विशिष्ट के अलग–अलग समुचित प्रकार के कचरे के पात्र रखे जायेंगे,

(ग) विक्रेता, खोमचे वाले, फेरी वाले, पटरी दुकानदार, खाद्य सामग्री के विक्रेता, फूड ट्रक जो स्थाई अथवा अस्थाई तौर पर स्थित हों, अपने व्यापार और विक्रय के स्थान पर गीले और सूखे अपशिष्ट हेतु कम से कम दो कचरे के डिब्बे रखेंगे जिससे कूड़ा करकट फैलने से गंदगी ना हो,

10. विशिष्ट श्रेणी के अपशिष्ट का संग्रहण निम्न प्रकार से होगा–

(क) खाद्य अपशिष्टों के अनुमन्य पैकेजिंग सामग्रियों के संबंध में:

उनके पृथक्करण से पहले खाद्य सामग्रियों को खाली कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, गैर–प्लास्टिक जैवनिम्नीकृत अपशिष्टों (इनमें खाद्य अपशिष्ट शामिल है) को प्रतिबंधित प्लास्टिक/पालीथीन की थैलियों में निस्तारित नही किया जाएगा और गैर–प्लास्टिक जैव निम्नीकृत अपशिष्ट के निस्तारण हेतु विशेष रूप से निर्मित समुचित प्रकार के कचरा संग्रहण बैग/लाइनर बैग का उपयोग किया जाएगा।

(ख) सैनेटरी अथवा स्वास्थ्य–सम्बन्धी अपशिष्ट के संबंध में:

इस प्रकार के सभी सैनेटरी अपशिष्ट को उनके जनित होने के समय ही सुरक्षित रूप से अखबारी कागज मे लपेट कर रखने या, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त रैपिंग मैटीरियल या लपेटने वाली सामग्री, बैग/पाउच में रखने, अथवा ब्रांड स्वामी या इन सैनेटरी उत्पाद के निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए उपयुक्त रैपिंग मैटीरियल में इस प्रकार रखा जायेगा जिससे किसी भी प्रकार के रिसाव या बिखराव को रोका जा सके। वर्णित प्रक्रिया अनुसार सुरक्षित रूप से रखे ऐसे सैनेटरी कचरे पर स्पष्ट रूप से एक निशान (उदाहरण स्वरूप लाल रंग का साफ दिखने वाला क्रॉस का निशान अथवा डायपर या नैपकिन के लिए मानकीकृत लेबल) बनाकर सूखे अपशिष्ट के लिए बने कचरे के डिब्बे में इस प्रकार रखा जायेगा जैस कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया गया हो,

(ग) घरेलू/वाणिज्यिक खतरनाक अपशिष्ट के संबंध में:

(i) सभी घरेलू/वाणिज्यिक खतरनाक अपशिष्टों का संग्रहण लेबल लगा कर, एक पृथक बैग/कचरे के पात्र में इस प्रकार किया जाना चाहिए, जैसा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया गया हो,

(ii) ऐसा कोई भी धार–दार चिकित्सकीय अपशिष्ट (जैसे नीडल, सिरिंज, ब्लेड आदि) जो घरेलू अपशिष्ट का भाग हों, उनका संग्रहण एक पृथक शार्प्स कंटेनर डिब्बे, में इस प्रकार किया जाना चाहिए जैसा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया गया हो,

(घ) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण मलबे के संबंध में:

सभी उत्सर्जजकर्तावों को ऐसे निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को निर्माण एवं ध्वस्तीकरण नियमावली, 2016 में यथानिर्दिष्ट तरीके से एवं नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार अपने परिसर में पृथक्कृत कर, इस प्रकार रखा जाना चाहिए जहॉ से उसका संग्रह करना और ले जाये जाना सरल हो,

(ड) उद्यान एवं बागवानी थोक अपशिष्ट के संबंध में:

ऐसे सभी अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा श्रेणी के कचरे को बड़े बैग, बिन अथवा ढेरियां बनाकर अपने परिसरों में/निर्धारित स्थानों (पिक–अपप्वाइंट्स) पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर, इस प्रकार रखने चाहिए जिससे कि इसे बिखरने, फैलने से रोका जा सके एवं इसके भंडारण, संग्रहण एवं परिवन में नगरीय स्थानीय निकाय अथवा निकाय द्वारा नियुक्ति किये गए व्यक्ति को सुविधा हो,

ग–ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक भंडारण (सेकेण्डरी स्टोरेज)

11. ठोस अपशिष्टों का द्वितीयक भंडारण स्थलों (सेकेण्डरी स्टोरेज साइट) पर भंडारण (स्टोरेज) निम्न प्रकार से होना चाहिए–

(1) घरों के द्वार से संकलित पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को द्वितीयक भंडारण हेतु अपशिष्ट भंडारण डिपो, सामुदायिक भंडारण कचरे के डिब्बे, अथवा चल या अचल ट्रांसफर स्टेशन या फिर नगरीय स्थानीय निकाय और या इस हेतु निकाय द्वारा नियुक्त एजेंट द्वारा निर्दिष्ट स्थानों तक लाया जायेगा।

(2) किसी भी क्षेत्र में अपशिष्ट जनित होने की मात्रा एवं आबादी के घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए भंडारण सुविधा का निर्माण और स्थापना किया जाएगा, इस तरह के द्वितीयक भंडारण स्थल पर निर्दिष्ट रंगों के अलग–अलग कवर्ड कचरे के कंटेनर निम्न तरह से अपशिष्ट को अलग–अलग कर भंडारण हेतु रखे जायेंगेः

क) जैव–निम्नीकरण योग्य अथवा गीला कचरा

ख) अजैविक–निम्नीकरण योग्य अथवा सूखा कचरा

ग) घरेलू खतरनाक अपशिष्ट

(3) सूखा अपशिष्ट छंटाई केंद्र/सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधा (एम.आर.एफ.मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी)/अजैविक–निम्नीकरण अपशिष्ट हेतु पुर्नचक्रण केन्द्रः

क) पुर्नचक्रणीय और गैर–पुर्नचक्रणीय अपशिष्ट की छंटाई को नियमित और सुविधाजनक बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकाय यथासंभव और आवश्यकतानुसार सूखे अपशिष्ट छंटाई केंद्र/सामग्री पुर्नप्राप्ति सुविधा (एम.आर. एफ.) या पुर्नचक्रण केंदों के स्थापना की व्यवस्था करेगा। सड़क/द्वार–द्वार संग्रहण व्यवस्था और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से एकत्रित सूखे कचरे (अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट) को इस प्रकार बनाये गए निर्दिष्ट केंद्रों में लाया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे। इन केंद्रों को इस तरह से सुरक्षित घेरा (स्क्रीन) जाएगा कि अपशिष्ट राहगीरों को दिखाई न दे।

ख) इन सूखे अपशिष्ट छॅटाई केंद्रों को पंजीकृत/अनुज्ञापित पुर्नचक्रकों द्वारा अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत/नियुक्त किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा संचालित किया जाएगा।

ग) यह प्राविधान भी लागू किया जायेगा कि घरों द्वारा सीधे कचरे को इन पुर्नचक्रण केंद्रों पर स्थानीय निकाय के अधिकृत एजेन्टों और/या अधिकृत अपशिष्ट डीलरों

को अपने पुर्नचक्रण योग्य शुष्क अपशिष्ट सीधे सौंप जा सके या पूर्व से अधिसूचित दरों पर विक्रय किया जा सके।

घ) अधिकृत एजेन्ट और/या अधिकृत अपशिष्ट डीलरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही केवल द्वितीयक बाजारों या पुर्नचक्रण इकाइयों में पुर्नचक्रण योग्य अपशिष्ट के निपटान या विक्रय की अनुमति होगी।

(4) निर्दिष्ट घरेलू खतरनाक अपशिष्ट हेतु संग्रह केंद्रः

क) घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण हेतु संग्रह केंद्र उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जहां पर निर्दिष्ट अपशिष्ट प्राप्त किए जा सकेंगे। इस सुविधा के स्थानों को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा जिससे खतरनाक अपशिष्ट को सीधे जमा करने के विषयगत आम जन मानस में जागरूकता हो और घरेलू खतरनाक कचरा सीधे इन स्थल पर संग्रहित हो सके। नगरीय स्थानीय निकाय और/या एजेन्ट सभी अपशिष्ट जनित्रों से घरेलू खतरनाक अपशिष्ट पृथक रूप से संग्रहित कर सकते हैं,

ख) इस प्रकार के अपशिष्ट का परिवहन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित खतरनाक अपशिष्ट निपटान सुविधा तक अलग से किया जाएगा,

ग) सैनेटरी अपशिष्ट को घरेलू खतरनाक अपशिष्ट से अतिरिक्त भंडारण सुविधा और/या संग्रहण केंद्रों पर पृथक्कृत किया जाएगा और भस्मीकरण के माध्यम से उन्हें प्रसंस्कृत किया जाएगा,

(5) द्वितीयक भंडारण सुविधा की विशिष्टयांः

क) नगरीय स्थानीय निकाय और/या एजेंट या आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के लिए भंडारण सुविधाओं को इस तरह से बनाए रखना होगा जिससे इसके आस–पास अस्वच्छ एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियां उत्पन्न न हों,

ख) भंडारण सुविधा उपयोगकर्ता के अनुकूल होगी और इसे इस तरह से निर्मित किया जाएगा कि ये अपशिष्ट के काम्पेकसन (मात्रा को संघनन प्रक्रिया से न्यून करने) को सुनिश्चित करे और संग्रहित अपशिष्ट खुले वातावरण के संपर्क मेंन आए,

ग) द्वितीयक संग्रहण सुविधा के निर्माण और स्थापना में इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी क्षेत्र अथवा वार्ड में आबादी का धनत्व अथवा क्षेत्र के आकार के सापेक्ष ठोस अपषिष्ट जनित होने की मात्रा कितनी है,

अध्याय 3

क. ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं डिलीवरी (सौपना)

12. ठोस और शुष्क अपशिष्ट का संग्रहण और डिलीवरी निम्न प्रकार किया जायेगा :–

(1) **द्वार–द्वार संग्रहण के संबंध में :** नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में यथास्थिति अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय/या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से अधिसूचित समयानुसार द्वार–द्वार से पृथक्कृत गीले एवं शुष्क अपशिष्ट के संग्रहण करने के विषय में प्रक्रिया को निर्दिष्ट कर लागू किया जायेगा;

(2) **स्थल–स्थल (प्वाइंट टू प्वांइट) संग्रहण के संबंध में :** यदि कुछ विशिष्ट समयावधि तक द्वार–द्वार संग्रहण सेवा संभव नहीं हो पा रही है, या किसी अप्रत्याशित ? कारण से सेवा संभव नहीं हो सकती, अथवा जब तक द्वार–द्वार संग्रहण सेवाएं प्रदान नहीं की जाती, ऐसी परिस्थिति में नगरीय स्थानीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक वार्ड में ऐसे विभिन्न स्थानों को (पूर्व में प्रचलित रहे डंपिंग स्थल सहित) अधिसूचित कर सकता है, जहाँ पर बड़े कॉम्पेक्टर/कचरे के पात्र इस प्रकार स्थापित किया जायेगा जिसमें नागरिक अपने पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को संग्रहीत कर डिलवर कर सकेंगे। अपशिष्ट को साफ करने के लिए इन संग्रहण बिंदुओं/काम्पेक्टर स्थल पर दैनिक रुप से ध्यान दिया जाएगा। उस स्थान के ईद–गिर्द स्थल को भी स्वच्छ रखा जाएगा जहां ये पात्र या कंटेनर या फिर कम्पेक्टर पात्र रखें जाते हैं;

(3) **इन सीटू प्रसंस्करण इकाइयों के अवशेष अपशिष्ट के संग्रहण के संबंध में :** नगरीय स्थानीय निकाय/या एजेंसी ऐसे इकाईयों/परिसरों से अपशिष्ट संग्रहण की समय सारणी निर्धारित करेंगे जो कि कचरे का इन सीटू या ऑन साईट प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया अपनाते हैं और इस सारिणी के हिसाब से संग्रहण के तय किये गए समय (टाइम स्लॉट) का प्रकाशन क्षेत्र के प्रमुख स्थानों के साथ ही नगरीय स्थानीय निकाय/जिले की एनआईसी वेबसाइट पर भी किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपने अधिकार क्षेत्र की ऐसी सभी इकाइयों/परिसरों की अद्यतन सूची रखा जायेगा जहां पर अपशिष्ट के थोक उत्सर्जक के रुप में चिन्हित इकाई/परिसर द्वारा अपशिष्ट का इन–सीटू–प्रसंस्करण होता है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, कार्यालय परिसर, शैक्षणिक संस्थान, विवाह स्थल, अस्पतालों का अजैविक चिकित्सकीय अपशिष्ट और वाणिज्यिक क्षेत्र;

(4) **थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं से संग्रहण के संबंध में :** ऐसी किसी भी स्थिति में जहाँ कि थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता द्वारा 10 टन या इससे अधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन जनित होता हो, नगरीय स्थानीय निकाय/या एजेंसी ऐसे थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता द्वारा जनित अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक पृथक संग्रहण व्यवस्था

करेंगी, इसमें अपशिष्टों के संग्रहण और उनके परिवहन के लिए पृथक परिवहन/संग्रहण वाहनों की व्यवस्था भी शामिल है;

(5) **भारी अपशिष्ट (बड़े आकार के) के संबंध में :** नगरीय स्थानीय निकाय और/या एजेंसी द्वारा माह में किसी एक दिन को भारी अपशिष्ट के द्वार से द्वार संग्रहण के लिए निर्धारित किया जायेगा और संग्रहण के लिए तय किये गये समय (टाइम स्लॉट) का प्रकाशन उस क्षेत्र के सभी प्रमुख स्थलों पर किया जायेगा, इसके साथ ही इसका प्रकाशन नगरीय स्थानीय निकाय की वेबसाइट/एनआईसी की जिले की वेबसाइट पर भी किया जायेगा;

ख. अन्य विभिन्न प्रकार के विशिष्ट अपशिष्टों का संग्रहण और डिलीवरी

13. अन्य विभिन्न प्रकार के विशिष्ट अपशिष्टों का संग्रहण और डिलीवरी निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(क) **खतरनाक (वाणिज्यिक/घरेलू) अपशिष्ट :** इस प्रकार के अपशिष्ट के उत्सर्जनकर्ता इसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित संग्रहण केंद्रों पर जमा करेंगे, अथवा इन्हे प्रतिदिन अधिसूचित की गयी संग्रहण व्यवस्था के अनुरुप दिया जाएगा अथवा संग्रहित किया जाएगा और इस प्रकार के कचरे का संग्रह करने वाले वाहन में ऐसे खतरनाक अपशिष्टों के लिए पृथक पात्र होंगे। वाहन में ऐसे पृथक पात्र न होने की दशा में नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्रीय नागरिकों से इस तरह के अपशिष्ट संग्रहण के लिए विशिष्ट दिन अधिसूचित किया जाए;

(ख) ई–अपशिष्टः उत्सर्जनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि ई–अपशिष्ट का चैनलीकरण अधिकृत भंजक (डिस्मैंटलर) या ई–अपशिष्ट के पुनर्चक्रक तक, संग्रह केंद्र/डीलर अथवा निर्माता/भंजक (डिस्मैंटलर)/ ई–अपशिष्ट के पुनर्चक्रकों, या निर्माता द्वारा निर्दिष्ट टेक–बैक सर्विस प्रदाता द्वारा सुनिश्चित हो;

(ग) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्टः निर्माण एवं धवस्तीकरण अपशिष्ट को संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण और डिलीवरी के लिए उत्सर्जनकर्ता उत्तरदायी होगा, उसे निर्माण एवं ध्वस्तीकरण मलबा नीति 2016 के प्रावधान या फिर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित यथा अधिसूचित नियमों का पालन करना होगा;

(घ) उद्यान अथवा बागवानी के थोक अपशिष्टः उद्यान और बागवानी के थोक अपशिष्ट को, नगरीय स्थानीय निकाय के निर्देशों और अधिसूचना के अनुसार, संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, डिलीवरी और प्रबंधन हेतु उत्सर्जनकर्ता उत्तरदायी होगा;

(ड.) अन्य अपशिष्टः जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट, तरल वधशाला अपशिष्ट, प्रवाह योग्य अपशिष्ट, बैटरी एवं नगरीय स्थानीय निकाय के अन्य ऐसे अपशिष्ट जिनके लिए नगरीय स्थानीय निकाय ने अलग प्राथमिक संग्रहण व्यवस्था अधिसूचित की हो, को ऐसी व्यवस्था

को हस्तांतरित अथवा उसके द्वारा संग्रहित नहीं किया जाना है जिसे गीले व ठोस शुष्क अपशिष्ट के संग्रहण हेतु अधिसूचित किया गया हो और इसके उत्सर्जनकर्ता द्वारा उपयुक्त शुल्क अथवा इस नियमावली में विहित शुल्क के भुगतान पर ऐसे संग्राहकों अथवा एजेंसी को दिया जाना है जिन्हे ऐसे विशिष्ट अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया हो;

(च) हॉकर, फेरीवाले, खोमचेवाले, खाने पीने के दुकान और फूड ट्रकः स्थायी अथवा अस्थायी अपने व्यापार के स्थान, अथवा उत्सर्जक स्थलों पर कूड़ादान सदैव रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पृथक्कृत अपशिष्ट को संग्रहक बिंदु, सामुदायिक कूडेदान, सामुदायिक पात्र अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा इस हेतु अधिसूचित अपशिष्ट संग्राहकों/वाहनों को ही सौंपा जाए;

14. उद्घघोषणा के प्राविधान एवं प्रकाशन–

(1) कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कचरा संग्राहक वाहन पर, अनुमन्य सीमा तक ध्वनि मानकों के अनुरुप स्वचालित ध्वनि रिकार्डिंग उपकरण, घंटिया, हॉर्न स्थापित किया जाएगा। संकीर्ण और भीड़–भाड़ वाली गलियों और संकरे रास्तों में, अपशिष्ट संग्राहक/चालक/सहायक ऐसी गलियों और सड़कों से गुजरते हुए एक सीटी का उपयोग कर आगमन की घोषणा और संग्रहण सुनिश्चि करेंगे;

(2) ठोस अपशिष्ट की विभिन्न श्रेणियों के संग्रहण के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सप्ताह के निर्धारित दिन सहित क्षेत्र या वार्ड वार विशिष्ट समय–सारिणी अधिसूचित की जाएगी और साथ ही उसे क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर, जिला एनआईसी वेबसाइट/नगरीय स्थानीय निकाय की वेबसाइट और/या एजेंसी की वेब साईट, यथा परिस्थिति, प्रकाशित किया जायेगा। सामान्यतः कचरे के द्वार–द्वार संग्रहण के लिए समय प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक ही होगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित दुकानों या किसी अन्य संस्थागत अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता के लिए नगरीय स्थानीय निकाय पृथक समय सारिणी अधिसूचित कर सकता है;

(3) संग्रहण मार्ग का मानचित्र (रुट–मैप) जिनमें दुकानें, संग्रहण के आरंभ और समाप्ति की अवधि और अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हो, और इसके साथ समय भी हो, को भी प्रकाशित एवं अधिसूचित किया जाएगा;

(4) जहाँ पर नगरीय स्थानीय निकाय ने द्वार–द्वार संग्रहण व्यवस्था अधिसूचित की हो वहां पर हर अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट की डिलीवरी यथा निर्दिष्ट अथवा अधिसूचित प्राथमिक संग्रहण बिंदु यथा दरवाजे के बाहर/गेट पर/सार्वजनिक सड़क के प्रवेश द्वार अथवा सामुदायिक बिन या पात्र में ही किया जाए;

(5) जहां पर नगरीय स्थानीय निकाय ने बिंदुवार (प्वांइट–टू–प्वांइट) संग्रहण व्यवस्था अधिसूचित की हो वहां पर हर अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट की डिलीवरी यथा निर्दिष्ट अथवा अधिसूचित सामुदायिक पात्रों या सीधे अपशिष्ट संग्रहकों/वाहन को किया जाए;

15. संग्रहण/डिलीवरी हेतु अतिरिक्त कार्यवाही–

(1) नगरीय स्थानीय निकाय ये सुनिश्चित करेगा कि जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट, उद्यान एवं बागवानी के थोक अपशिष्ट, मार्ग सफाई का कचरा, बिखरा करकट एवं मृत पशु (पालतू और बड़े जानवर) के लिए भिन्न प्राथमिक संग्रहण व्यवस्था की स्थापना की जाए और जैसा कि केन्द्र सरकार के संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत नगरीय स्थानीय निकाय के लिए लागू करना आवश्यक हो;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय विशेष श्रेणियों के अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं जैसे कि होटल एवं खाद्य पदार्थों के बिक्री स्थल, वधशालाओं, डेरी आदि अथवा किसी अन्य विशिष्ट श्रेणी के अपशिष्ट जैसे ई–अपशिष्ट आदि के लिए भिन्न प्राथमिक संग्रहण व्यवस्था अधिसूचित करेगा;

(3) संग्रहण के दौरान कोई भी अपशिष्ट इस प्रकार हंस्तातरित नहीं किया जाएगा जिससे अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या अपशिष्ट संग्राहकों, अथवा आम जन के स्वास्थ्य को किसी प्रकार का संकट हो एवं जिससे यातायात/परिवहन के लिए जोखिम हो अथवा पर्यावरण को क्षति हो या किसी प्रकार की अप्रिय गंध अथवा गंदगी के उत्पन्न होने की आशंका हो;

(4) आवासीय एवं अन्य क्षेत्रों से संग्रहीत पृथक्कृत जैव–निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट का परिवहन प्रसंस्करण संयत्रों यथा कम्पोस्ट संयंत्र, जैव–मिथेनीकरण संयंत्र अथवा किसी अन्य ऐसी सुविधा तक पूरी तरह ढक कर किया जाना चाहिए;

(5) संग्रहीत पृथक्कृत गैर जैविक–अपघटनीय अपशिष्ट का परिवहन संबंधित प्रसंस्करण सुविधाओं अथवा पुनर्चक्रण के लिए स्थापित द्वितीयक भंडारण सुविधाओं तक किया जाएगा;

अध्याय–4

ठोस अपषिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन

16. ठोस अपषिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन निम्न प्रकार से होना चाहिए ,–

(क) ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन हेतु नगरीय स्थानीय निकाय एवं/एजेंसी को इसे ले जाने वाले वाहनों को इस प्रकार संग्रहण व्यवस्था बना कर लगाया जाना चाहिए कि पृथक्कृत सूखा अपशिष्ट, गीला अपशिष्ट और परिसंकटमय (खतरनाक) अपशिष्ट परिवहन के दौरान एक दूसरे में मिश्रित न हो जाएं;

(ख) जहां तक संभव हो नगरीय स्थानीय निकाय, अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए स्वचालित वाहनों का ही उपयोग करेंगे जिनमें स्वचालित यंत्रों के माध्यम से अपशिष्ट का संग्रहण और भरण किया जाता है, जिससे अपशिष्ट के मानवीय प्रयास (मैनुअल हैंडलिंग) यानी हाथ से उठाने और भरण की संभावना को खत्म किया जा सके। प्राथमिक और द्वितीयक संग्रहण हेतु लगाये गए परिवहन वाहन इस प्रकार का होना चाहिए कि ठोस अपशिष्ट के अपने अंतिम प्रसंस्करण निस्तारण स्थल तक पहुंचने में अपशिष्ट जमीन को न छू सके, इससे अपशिष्ट के बार–बार हाथ से व्यवस्थित करने की संभावना से बचाव हो जाएगा;

(ग) परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाहनों को इस प्रकार ढकना चाहिए (कवर किया जाना) जिससे संग्रहित अपशिष्ट खुले वातावरण में न दिखे, न ही व्यक्तियों को दिखाई दे, और न ही परिवहन के दौरान सड़क पर बिखरे। इन वाहनों में कॉम्पैक्टर और मोबाइल अंतरण स्थल (मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन) भी शामिल किए जा सकते हैं, और यह इस पर निर्भर करेगा कि स्थानीय निकाय किस तकनीक का चुनाव करता है;

(घ) नगरीय स्थानीय निकाय को इस बात का आंकलन करना होगा कि प्रत्येक चिन्हित वार्ड में कितने अपशिष्ट संग्रहण वाहनों को आवंटित किया जाए। अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं और अपशिष्ट संग्रहण वाहनों के अनुपात की गणना हर छः महीने पर की जाएगी। यह गणना नगरीय निकाय द्वारा समय–समय पर निर्दिश्ट कार्यप्रणाली के अनुरूप की जाएगी;

(ङ) नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित स्थानों पर समर्पित मोबाइल अंतरण स्टेशन या फिकस्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को स्थापित करने की व्यवहारिकता सुनिश्चित की जाएगी जिससे सड़क मार्ग पर कचरे के संग्रहण में, घरों और

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के द्वार–द्वार संग्रहण में लगे ऑटो टिपर्स, तीन पहिया वाहन, रिक्शा आदि के माध्यम से संग्रहित होने वाला ठोस अपशिष्ट निर्धारित स्थल पर अनुमोदित मार्गों के अनुरूप सुनिश्चित हो सके। मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन और फिकस्ड कॉम्पैक्टर स्टेशन की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिससे प्राथमिक संग्रहण वाहनों से अपशिष्ट को न्यूनतम समय में बिना बिखराए उतारा जा सके। जिन नगर निगमों में वार्ड का क्षेत्रफल बड़ा है और जहां पर वार्ड क्षेत्र में ही 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन से ज्यादा का अपशिष्ट उत्पन्न होता है, नगर निगम उन वार्डों में द्वितीयक संग्रहण हेतु काम्पेक्टर भी उपलब्ध करा सकते हैं;

(च) संग्रहण एवं परिवहन उपकरण और वाहन का चयन करते समय बदलती आवश्यकता एवं तकनीकी के हो रहे विकास का ध्यान दिया जायेगा। अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्रयुक्त सभी वाहनों में व्हेकिल ट्रैकिंग सिस्टम/जीपीएस स्थापित किया जायेगा;

अध्याय 5

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

17. जैव–निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट अथवा गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण

(1) परिवहन/संग्रहण लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण जैसे कि कम्पोस्टिंग, जैविक मीथेनीकरण, सूक्ष्मजीवी कम्पोस्टिंग, वर्मी–कम्पोस्टिंग, अवायवीय पाचन अथवा किसी अन्य प्रकार के ऐसे उचित प्रसंस्करण प्रक्रिया को वरीयता दी जाएगी जिससे जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट का जैविक स्थिरीकरण किया जा सके। जहां कहीं भी उपयुक्त हो जैविक निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट के स्रोत के स्थान पर ही प्रसंस्करण (इन सीटू प्रोसेसिंग) को वरीयता दी जाएगी;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि सब्जियों, फलों, फूलों, मांस मुर्गी, मत्स्य अपशिष्ट से जुड़े बाजार में जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट का प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया में स्वास्थकर और स्वच्छकारी परिस्थितियाँ सुनिश्चित रहें;

(3) **आन साईट प्रसंस्करण (इन–सीटू प्रोसेसिंग) :** इस नियमावली की अधिसूचना के लागू होने के **90** दिनों के भीतर जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट के थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा गीले अपशिष्ट के आन साईट प्रसंस्करण (इन–सीटू प्रोसेसिंग) की सुविधाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण स्वयं द्वारा सुनिश्चित किये जाने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति/अनुमति में जारी शर्तों/प्रतिबंधों के अनुरूप प्रसंस्करण की सुविधा स्थापित करायी जाएगी;

(4) निम्न सारणी में दिये गए अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के लिए यह अनिवार्यतः बाध्यकारी होगा कि वह स्वयं द्वारा जनित गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु अपने परिसर में सुविधा की स्थापना और अनुरक्षण इस प्रकार करें जो कि इस विषय में नगरीय निकाय द्वारा दिए गए अनुज्ञापन/प्राधिकारपत्र की शर्तों/प्रतिबंधों के अनुरूप हो–

सारिणी

	उत्सर्जनकर्ताओं के प्रकार	जनित अपशिष्ट की मात्रा
1	होटल, रेस्टोरेंट्स एवं अन्य भोजनालय	प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा, अथवा थ्री स्टार और उच्चतर श्रेणी के सभी होटल

2	मैरिज हॉल, व्यापार मेला, पार्टी प्लॉट्स, सामुदायिक केंद्र, क्लब	प्रतिदिन 100 किलो से अधिक अथवा प्रयोजनों के समय
3	वधशालाएं, चिकन अथवा मटन की दुकानें	प्रतिदिन 50 किलो से ज्यादा (या किसी एक प्रतिष्ठान से अथवा सामूहिक रूप से किसी एक स्वामी के विभिन्न प्रतिष्ठानों से)
4	चिकित्सालय एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा संस्थान	20 बेड से ज्यादा का संचालन अथवा प्रतिदिन 100 किलो से अधिक गीला अपशिष्ट उत्पादन
5	औद्योगिक क्षेत्र	प्रतिदिन 50 किलो से अधिक का उत्पादन
6	निजी उद्यान/सार्वजनिक पार्क	प्रतिदिन 50 किलो से अधिक का उद्यान अपशिष्ट
7	डेयरी एवं पशुपालक शेड	सभी डेयरी एवं पशुपालक शेड्स
8	सभी द्वार बंद सामुदायिक परिसर अथवा ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर या इससे अधिक का है।	परिसर में उत्पन्न होने वाला सभी प्रकार का अपशिष्ट

(5) जहां पर ऐसे उत्सर्जनकर्ता भूमि की अनुपलब्धता की वजह से इस प्रकार की सुविधा की स्थापना करने में अक्षम हों, वहां पर वे ऐसे जैव–निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय और/या निकाय के एजेंट को प्रथककृत करते हुए सौंपेगें। प्रतिष्ठान के प्रकार, अपशिष्ट के उत्सर्जन और डिलीवरी (सौंपनें) की मात्रा के आधार पर लागू/अतिरिक्त प्रयोक्ता प्रभार शुल्क संबंधित उत्सर्जनकर्ता को देना होगा;

(6) नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने विवेक पर, नगरीय स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में जैव–निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट के प्रसंस्करण की आवश्यकता का विस्तार किसी अन्य श्रेणी के उत्सर्जनकर्ताओं तक भी कर सकते हैं;

(7) नगरीय स्थानीय निकाय समय समय पर यह जांच और निरीक्षण करेंगे जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि मानकों के अनुसार स्थलीय प्रसंस्करण सुविधाएं (इन सीटू प्रोसेसिंग सुविधा) स्थापित हैं, उनका संचालन हो रहा है और संबंधित उत्सर्जनकर्ता द्वारा स्वयं के उत्सर्जित संपूर्ण गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण इस हेतु लागू किये गये मानकों के अनुरूप

सुनिश्चित किया जा रहा है। निर्धारित मानकों के अनुरूप इन प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना में विफलता या इनके मानकों के अनुरूप समुचित संचालन में विफलता पाए जाने पर आन साईट गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी दिए गए प्रोत्साहनों को रद्द कर दिया जाएगा और पूर्व में दिए जा चुके प्रोत्साहन से संबंधित धनराशि की वसूली की जाएगी और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता पर ऐसे प्रशासनिक शुल्क और शमन शुल्क निर्धारित किया जायेगा जो कि इस विषयगत अधिसूचित होंगे और ये तब तक लगाया जाएगा, जब तक कि प्रसंस्करण सुविधाओं का परिचालन मानकों के अनुरूप संबंधित उत्सर्जनकर्ता द्वारा सुनिश्चित न कर दिया जाये;

(8) नगरीय स्थानीय निकाय निम्न बिंदु को अधिसूचित और अद्यतन करने की कार्यवाही नियमित रूप से करेगा;

(क) गीले अपशिष्ट के इन सीटू/ऑन साईट प्रसंस्करण के मानक का निर्धारण (इनमें, निर्माण, संचालन, प्रबंधन, अवशिष्ट और उत्पाद शामिल हैं), जो सभी उत्सर्जनकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगे, और सभी भवन निर्माण की अनुज्ञप्ति व सभी अनुमतियां इन मानकों के अनुपालन करने की शर्तों के अधीन रहेंगी;

(ख) गीले अपशिष्ट के इन–सीटू प्रसंस्करण के लिए अनुमोदित तकनीक एवं विस्तृत रचना (डिजाइन) जिसमें बाजार में उपलब्ध विभिन्न पर्यावरणीय, संचालन संबंधी और आर्थिक रूप से पोषणीय तकनीक और प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखा जाएगा, जिससे इन नियमों का अनुपालन हो सके। इन सीटू प्रोसेसिंग के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ऐसी किसी प्रौद्योगिकी/वेंडर को अपनाये जाने की अनिवार्यता उत्सर्जनकर्ता के लिए नहीं होगी और इन–सीटू प्रसोसिंग निर्धारित प्रक्रिया/मानकों के अनुरूप किया जाये महज ये अनिवार्य होगा;

(9) समस्त अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को, अथवा इन–सीटू कम्पोस्ट के थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता को समय–समय पर जारी केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

(10) नगरीय स्थानीय निकाय को चरणबद्ध तरीके से 2 साल के भीतर रासायनिक खाद (फर्टिलाइजर) के प्रयोग को बंद करना होगा और उसके द्वारा अनुरक्षित सभी उद्यानों,

पार्कों में या उन सभी जगहों पर जो उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना होगा।

(11) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण को बढ़ावा दिए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी से जुड़ी सूचानाओं/जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ, कूड़ा बीनने वालों को इस प्रक्रिया में अंगीकृत करने और इस हेतु जागरूकता अभियान, उत्सर्जनकर्ता को भिज्ञ करने हेतु शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धन, कार्यशालाएं आदि से के माध्यम से प्रसार का काम किया जाएगा।

(12) नगरीय स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंधन में समुदायों को सहभागिता हेतु शामिल करेगा और गृह कंपोस्टीकरण, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देगा, ऐसा करने में इन सुविधाओं के आस–पास दुर्गन्ध पर नियंत्रण और स्वास्थ्यकर स्थितियां रहें यह ध्यान रखा जायेगा,

(13) कंपोस्ट के वितरण हेतु संस्थागत व्यवस्थाः

(क) नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग, उर्वरक से जुड़े संबंधित विभाग से समन्वय कर एक ऐसी प्रक्रिया प्रणाली का विकास करेगा, जो उत्पादित हो रहे कंपोस्ट के मानकों, उसके वितरण, किसानों और कंपनियों से उसके वितरण हेतु विभिन्न मूल्य की अधिसूची आदि के विषयगत हो।

(ख) अपशिष्ट प्रसंस्करण करने वाली सुविधाएं जो कंपोस्ट का उत्पादन कर रही हो, यह सुनिश्चित होने के बाद कि गुणवत्ता की जांच अच्छी तरह से हो चुकी है अपने कंपोस्ट का एक हिस्सा, नगरीय स्थानीय निकाय/या एजेंसी द्वारा यथानिर्धारित, अपने क्षेत्र के करीबी किसानों को सब्सिडी मूल्य पर, जो कि नगरीय स्थानीय निकाय/या नगरीय विकास विभाग द्वारा उर्वरक संबंधी विभाग से विमर्श कर समय समय पर निश्चित किया गया हो, उपलब्ध कराएगें। नगरीय स्थानीय निकाय और/या एजेंसी ये सुनिश्चित करेंगे कि सब्सिडी मूल्य पर कंपोस्ट की उपलब्धता की जानकारी आसानी से क्षेत्र के किसानों तक पहुंचे।

(14) **(इन–सीटू)/आन साईट गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं हेतु विषिष्टियां:**

(क) सुविधाएं सिर्फ पृथक्कृत गीले अपशिष्ट को स्वीकार, संग्रहित और उपचारित करेंगी।

(ख) प्रसंस्करण सुविधाओं के स्थल पर एक पृथक स्थान होना चाहिए जहां पर उत्सर्जनकर्ता द्वारा संग्रहित मिश्रित ठोस अपशिष्ट अस्थाई रूप से भंडारित किया जा सके।

(ग) अधिसूचित संग्रहण व्यवस्था को सौंपने हेतु सभी अवशिष्ट अपशिष्ट को अस्थाई रूप से ऐसे निर्दिष्ट स्थान पर इस प्रकार सुरक्षित रूप से रखा जायेगा और कवर्ड कचरे के पात्रों में इस प्रकार डिलीवर किया जायेगा कि इस प्रक्रिया में कचरे के बिखराव, रिसाव, फैलने, जनता को होने वाली नयूसेंस, अप्रिय गंध आदि से बचाव हो सके।

(घ) सुविधाओं के पास समुचित आधारभूत संरचना और यूटिलिटी इस प्रकार होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां पर कोई अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ परिस्थितियां, नागरिकों और सुविधा का संचालन कर रहे कर्मचारियों के लिए अपदूषण न हो।

(ङ.) सभी सुविधाएं ऐसे समुचित उपाय करेंगी जिससे प्राप्त किए जाने वाले गीले अपशिष्ट की मात्रा और गुणवत्ता तथा उत्पाद के रूप में कंपोस्ट और गैस के उत्पादन की निगरानी की जा सके, जिससे अवशिष्ट और अप्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा को कम किया जा सके।

18. अजैविक निम्नीकरणीय योग्य अपशिष्ट अथवा शुष्क अपशिष्ट का प्रसंस्करण,–

(1) अजैविक निम्नीकरणीय योग्य अपशिष्ट के थोक उत्सर्जनकर्ता स्वयं की सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) जैसे कि शॉर्टिंग शेड्स, की स्थापना और अनुरक्षण करेंगे या फिर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किसी ऐसे शर्तों के अनुरूप अवशिष्ट अपशिष्ट को अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा एजेंसी को सौंपेगे।

(2) **विद्यमान सुविधाओं का समाहित करना,–**

(क) नगरीय स्थानीय निकाय यह प्रयास करेगा कि विद्यमान अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रह/एकत्रीकरण/व्यापारिक सुविधाएं, जो पंजीकृत अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारियों द्वारा संचालित है, को इन प्रावधानों के अनुपालन, मानकों और विनिर्देशों के तहत सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) के रूप में पंजीकृत/अधिकृत करे।

(ख) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ) को घरेलू/वाणिज्यिक खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण केंद्र के तौर पर नामित किया जाये, बशर्ते इस तरह के एमआरएफ के भीतर एक अलग सुरक्षित भंडारण क्षेत्र विद्यमान हो और इस प्रकार के एमआरएफ का प्रबंधन/संचालन/इसमें कार्यरत कूड़ा उठाने वालों/संग्रह एजेंसी को इस तरह के अपशिष्ट के सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण दिया गया हो।

(3) **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) के सभी अधिकृत संचालक निम्न का पालन करेगें:**

(क) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) सिर्फ पृथक्कृत अजैविक–निम्नीकरणीय योग्य अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट ही स्वीकार करेंगी;

(ख) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) किसी प्रकार के मिश्रित अपशिष्ट, जैविक–निम्नकरणीय योग्य अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, ई– अपशिष्ट, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट, घरेलू/वाणिज्यिक खतरनाक अपशिष्ट आदि स्वीकार नहीं करेंगी, जब तक उन्हें ऐसा करने के लिए, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा, विभिन्न पर्याप्त सुविधाओं के प्रावधान के बाद इन नियमों और अन्य लागू नियमों के तहत प्रावधानों, मानकों और विनिर्देशों के अनुसार कचरे की ऐसी श्रेणियां के लिए अधिसूचित ना किया गया हो।

(ग) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) में निम्न के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधा होनी चाहिए;

(i) संग्रहण वाहन/अपशिष्ट संग्राहकों/प्रतिनिधियों से शुष्क अपशिष्ट प्राप्त करने हेतु;

(ii) सूखे अपशिष्ट के पृथक्करण, गट्ठर बनाने, एवं अस्थाई भंडारण हेतु;

(iii) समुचित और पृथक पात्रों की उपलब्धता, जिनमें निष्क्रिय अपशिष्ट, गैर–पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर–पुनर्प्रयोज्य अपशिष्ट एवं अन्य प्रकार के अपशिष्ट जिनके लिए सुविधाएं प्रदान की गयी हों, का अस्थाई भंडारण किया जाए;

(iv) निष्क्रिय अपशिष्ट, गैर–पुनर्चक्रणीय (एमआरएफ) अपशिष्ट, गैर–पुनर्प्रयोज्य शुष्क अपशिष्ट एवं अन्य प्रकार के अपशिष्ट जिनके लिए सुविधाएं प्रदान की गयी हों, उनके द्वितीयक संग्रहण के ट्रांसफर हेतु;

(घ) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं में समुचित सुविधाएं हों जिससे उसके निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जाए और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों को रोका जा सके;

(i) जनता को, अथवा कचरा उठाने वालों/सुविधा के अंदर कार्यरत कर्मचारियों को कोई अपदूषण न हो, इसमें सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा की स्वच्छता/कीटाणुशोधन और सफाई शामिल है, खासकर उन स्थानों पर जहां घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट भंडारित हो;

(ङ.) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) का निर्माण निर्धारित परिसर के भीतर इस प्रकार होना चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त अच्छादित स्थान प्राप्त हो सके, जिससे आवारा पशुओं या पक्षियों आदि द्वारा बिखराव को रोका जा सके, और वहां केवल पंजीकृत कचरा संग्रहकों/अधिकृत व्यक्तियों की ही पहुंच हो;

(च) किसी भी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) के अपशिष्ट चुनने वाले, अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारी अथवा संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, पुनर्चक्रण धारा का अंग बने और केवल निष्क्रिय, गैर–पुनर्चक्रणीय, घरेलू/वाणिज्यिक खतरनाक और गैर–पुनरूपयोग योग्य अपशिष्ट को इस व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा, और उसे आगे के प्रसंस्करण अथवा निस्तारण के लिए द्वितीयक संग्रहण प्रणाली में ट्रांसफर कर दिया जाएगा;

19. अजैविक–निम्नीकरणीय योग्य पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण,–

अजैविक–निम्नीकरण योग्य पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को शुष्क अपशिष्ट पृथक्करण केंद्रों/सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा और उसके बाद अधिकृत पुनर्चक्रणीय इकाइयों में भेजा जाएगा। जहां तक संभव हो नगरीय स्थानीय निकाय अजैविक/निम्नीकरण योग्य पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु संस्थागत प्रणाली का विकास करेगी जिससे ऐसे अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या नगरीय स्थानीय निकाय और/या एजेंसी द्वारा सीधे पुनर्चक्रण इकाइयों में भेजा जा सके;

20. अजैविक–निम्नीकरण योग्य, गैर–पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण,–

(1) ऐसा अजैविक–निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट, जिसका इन नियमों के अनुरूप पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, और जिनका कैलोरिफिक मान 1500 किलो–कैलोरी प्रति किलोग्राम से अधिक हो, उसका उपयोग अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में किया जायेगा, ऐसे उपयोग में अपशिष्ट के दहनशील भाग का इंधन के तौर पर उपयोग, अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए कच्चे माल के तौर पर उपयोग, या सीमेंट भट्टियों में उपयोग शामिल है;

(2) प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय इन नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमाओं में रजस्वला–संबंधी एवं दूसरे सैनेटरी अपशिष्टों का निस्तारण एवं प्रसंस्करण भस्मीकरण से होगा;

21. खतरनाक (घरेलू अथवा वाणिज्यिक) अपशिष्ट का प्रसंस्करण,–

घरों, थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं, वाणिज्यिक, प्रतिष्ठानों और/या उद्योगों से संग्रहित खतरनाक अपशिष्ट का प्रसंस्करण टीएसडीएफ (उपचार भंडारण निस्तारण सुविधा), भस्मीकरण और/या नगरीय स्थानीय निकाय अथवा नगर विकास विभाग द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त प्रक्रिया से होगा;

22. निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट का प्रसंस्करण,–

निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट का प्रसंस्करण, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट नीति 2016 के अनुपालन में होगा और इसे निर्धारित प्रसंस्करण संयंत्रों, स्वच्छ भूमि भरण (सैनेटरी लैंड फिल) और/या अन्य नामित स्थलों पर भेजा जाएगा;

23. वधषाला अपशिष्ट का प्रसंस्करण,–

वधशालाओं, कुक्कुट पालन, और मछली बाजारों से उत्पन्न अपशिष्ट का प्रसंस्करण अथवा निस्तारण करने के लिए, प्रतिपादन, कम्पोस्टिंग, जैव (मिथेनेशन), नियंत्रित भस्मीकरण और दफन करने की प्रक्रिया/उपाय इस प्रकार अपनाये जायेंगे जिसमें कि निर्धारित वैज्ञानिक मानकों का पालन सुनिश्चित हो;

24. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और उपचार एवं भूमिभरण स्थलों (लैंडफिल साइट) के लिए मानक–

नगरीय स्थानीय निकाय का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं और भूमिभरण स्थल (लैंडफिल साइट) की रचना, स्थापना और अनुरक्षण, ठोस अपशिष्ट नियमावली 2016 में निर्दिष्ट प्रावधानों और मानकों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो। यदि वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय के स्तर पर संभव न हो, तो ऐसी दशा में व्यवस्था करने हेतु क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तर पर इसे विचार किया जा सकता है। इन नियमों के तहत जो प्रयोक्ता प्रभार शुल्क एकत्र किया जाएगा उसे ऐसे राज्य स्तरीय परियोजना के वित्त पोषण, उसके संचालन और अनुरक्षण में व्यय किया जा सकेगा;

अध्याय 6

नगरीय स्थानीय निकाय के अन्य अनिवार्य दायित्व

25. **अपने अनिवार्य दायित्व के अतिरिक्त प्रत्येक नगरीय निकाय के निम्नलिखित दायित्व भी होंगे :–**

(क) ऐसी आधारभूत संरचनाए उपलब्ध कराना जिससे नागरिक इन नियमों के प्रावधानों का पालन कर सकें। अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं के साथ ही कूड़ेदान, शुष्क अपशिष्ट पृथक्करण केन्द्र और कंपोस्टीकरण केन्द्रों की स्थापना, जहॉ भी संभव और आवश्यक हो, स्थानीय नागरिकों की सलाह से की जाएंगी।

(ख) ऐसे सार्वजनिक मार्गो अथवा सार्वजनिक स्थानों पर समुचित सामुदायिक कूड़ेदान उपलब्ध कराना, जिन्हें नगरीय स्थानीय निकाय ने स्वयं नियत किया हो, या एक अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत किसी एजेंसी ने उस अवधि तक नियत किया हो, जब तक नगरीय स्थानीय निकाय नियमित अंतराल पर अपशिष्ट का स्रोत पर ही संग्रहण अथवा प्वाइंट टू प्वाइंट संग्रहण का प्रबंध न कर ले। उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा अपशिष्ट को ऐसे सामुदायिक कूड़ेदान में रखना होगा, जिसे बाद में नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संग्रहीत किया जाएगा। नगरीय स्थानीय निकाय और/या एजेंसी इन सामुदायिक कूड़ेदान से पृथक्करण के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए किसी प्रकार के स्वास्थ्य के खतरे और अपदूषण से बचाव को सुनिश्चित करेगें। जैविक निम्नीकरण योग्य और अजैविक निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट के लिए अलग–अलग सामुदायिक कूड़ेदान होंगे। ऐसे स्थानों से अपशिष्ट संग्रह की व्यवस्था और समय सारिणी का विवरण नगरीय स्थानीय निकाय के कार्यालयों के सार्वजनिक सूचना पट और जिले की एन.आई.सी. वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय और/या एजेंसी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय इन सामुदायिक कूड़ेदान से अपशिष्ट खुले वातावरण में सीधे प्रदर्शित न हो और कूड़ा बीनने वालों, आवारा पशु–पक्षियों आदि द्वारा अपशिष्ट के बाहर बिखरने की स्थिति उत्पन्न न हो;

(ग) कम्पोस्टीकरण केंद्रों और शुष्क अपशिष्ट पृथक्ककरण केंद्रों द्वारा ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और कम्पोस्टीकरण के बारे में सूचना एकत्र कर उसकी सूची जिले की एन. आई.सी. वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी;

(घ) एक ऐसे प्रणाली की स्थापना की जाएगी जिससे कचरा बीनने वालों/अनौपचारिक कचरा संग्राहकों की पहचान की जा सकें, और अपशिष्ट के द्वार–द्वार संग्रहण की प्रक्रिया में भागीदारी से उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। ऐसी प्रणाली की स्थापना के लिए नगरीय स्थानीय निकाय इन अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के स्वयं सहायता समूह बनाने पर विचार कर सकते हैं। इन्हें पहचान पत्र निर्गत कर इन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जोड़ा जा सकता है। नगरीय स्थानीय निकाय को

प्रयत्न करना चाहिए कि वो ऐसे लोगों/समूहों को प्रोत्साहित करे जो सफाई और स्वच्छता अभियानों से जुड़े हैं और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के प्रयास में ऐसे व्यक्तियों/समूहों को संगठित करना चाहिए ;

(ड.) यदि परिवहन ठेकेदार/एजेंसी का अथवा नगरीय स्थानीय निकाय का कर्मचारी पृथक्कृत अपशिष्ट को संग्रहण के किसी भी चरण में मिश्रित करते हैं अथवा निर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करते है, तो परिवहन हेतु उत्तरदायी ठेकेदार एजेंसी/और या नगरीय स्थानीय निकाय के उत्तरदायी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी;

(च) अपशिष्ट की कितनी मात्रा भूमि भरण स्थलों और अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थल पर जा रही है, इस विषयक आंकड़े सार्वजनिक रूप से प्रति माह प्रकाशित किये जायेगें। ऐसी सूचना नगरीय स्थानीय निकाय के कार्यालय, वेबसाइट/जिले की एन.आई.सी. वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी;

(छ) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची 3 के प्रस्तर 7 के अनुपालन में समुचित कदम उठाये जायेंगे और अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगे;

(ज) उन्हें यह अधिकार होगा कि वे यथा आवश्यक सहायता जिसे वो जरूरी समझे के साथ किसी भी समय जो वो उचित समझे, निम्न उदेश्यों हेतु ऐसी किसी भी जगह पर प्रवेश कर सकेंगे, जहाँ उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा दिए गए कार्य निष्पादित करने हैं, या यह देखना है कि क्या ऐसे कोई कार्य निष्पादित होने हैं, और यदि हाँ, तो उन्हें कैसे किया जाना है, और क्या इन नियमों के किसी प्रावधानो अथवा अन्य अधिसूचित अपशिष्ट प्रबंधन नियमो का अनुपालन हुआ है;

(झ) अपदूषण को संसूचित करने वाली प्रणाली को उपयुक्त लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर सुदृढ़ बनाना;

(ञ) अपने अधीन अधिकारियों को नामित करेंगे, जो नियत समय सारिणी के अनुरूप तय कार्यक्रम और कर्यान्वयन योजना के अनुसार इन नियमों के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय के निर्दिष्ट अनिवार्य दायित्वों को लागू करने के लए जिम्मेदार होंगे। विशिष्ट कार्य योजनायें, समय सारिणी इनके सापेक्ष होने वाली उपलब्धियों और कमियों को, यदि होती हैं तो, नगरीय स्थानीय निकाय के अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा किया जाएगा। पर्यवेक्षक, सफाई निरीक्षक यूनिफार्म में होंगे और उनके पास वॉकी–टॉकी या मोबाइल आधारित एप्लीकेशन होगा, जिससे कार्य हेतु संपर्क और समन्यवय बना रहे;

(ट) नगरीय स्थानीय निकाय अथवा किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा द्वार–द्वार संग्रहण हेतु तैनात सफाई कर्मियों/कचरा बीनने वालों को कूड़ा उठाने के लिए वाहन/हाथगाड़ी/तीन

पहिया प्रदान कर समर्थ बनाया जाएगा जिससे वे कूड़े को संघनक (कॉम्पैक्टर)/द्वितीयक भंडारण स्थल, जो कि प्राथमिक संग्रहण बिन्दु से दो (2) किलोमीटर से तीन (3) किलोमीटर के अंदर हो, तक ले जा सके;

(ठ) पारदर्शिता और जनसामान्य तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय सभी आवश्यक सूचनाओं को जिले की एन.आई.सी. वेबसाइट के माध्यम से प्रचारित करेगी। क्षेत्र के प्रत्येक परिवार अथवा प्रतिष्ठान को उस क्षेत्र के सफाई कर्मी और पर्यवेक्षक का नाम और नम्बर प्रदान किया जाएगा;

(ड) नियमों के प्रावधानों को प्रचारित करने हेतु मीडिया, संकेतक, लीफलेट, वाहनों के जरिए उद्घघोषणा /या किसी अन्य उचित माध्यम का प्रयोग किया जायेगा, जिससे सभी नागरिकों को इन नियमों के प्रावधानों जैसे प्रयोक्ता प्रभार शुल्क, वैधानिक कर्तव्य (उदाहरण स्वरूप पृथक्करण एवं अपशिष्ट के पुनर्चकरण), कूड़ा फैलाने , अपदूषण (न्यूसेंस) उत्पन्न करने पर लगाये जाने वाले अर्थदंड और जुर्माने और विभिन्न प्रतिबंधों के प्रति जागरूक बनाया जा सकें;

(ढ) इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अन्य शासकीय संस्थाओं और अभिकरणों से समन्वय स्थापित करेंगे;

(ण) ये सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक मार्गों, स्थानों, आवासीय कॉलोनियों, झुग्गी झोपड़ियों, बाजारा, पर्यटक स्थलों, नगरीय स्थानीय निकाय के पार्कों, श्मशानों आदि की नियमित सफाई के लिए प्रबंध किए जाएं और नगरीय स्थानीय निकाय इन स्थानों से कूड़े को द्वार–द्वार संग्रहण करके अथवा निकटम कूड़ेदान/अपशिष्ट पात्र/इस हेतु विकसित व्यवस्था से संग्रहित कर उक्त के अंतिम निस्तारण स्थल तक कवर्ड वाहन में परिवहन करने हेतु प्रतिबद्ध होगा;

(त) जनहित में नगरीय निकाय द्वारा स्वयं के/आउट सोर्स के माध्यम से/संविदा प्राप्त सफाई कर्मियों और वाहनों का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दैनिक सफाई कार्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों में उपयोग कर, अपने अधीन क्षेत्र को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाए रखे जाने के उद्देश्य हेतु कार्य किया जायेगा;

(थ) यह प्रयास किया जाएगा कि इन नियमों के अधिसूचना के एक साल की समयावधि में स्वयं द्वारा या समन्वय प्रयास से एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली का विकास हो सके जिसमें जिले में मृत पशुओं के शरीर का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से करने के लिए शव निस्तारण संयंत्र, भस्मीकरण सुविधा/संयंत्र स्थापित किए जाएं;

(द) जहां भी आवश्यक हो बायो रेमेडिऐशन/फाइटो–रेमेडिऐशन अथवा किसी अन्य तकनीक का प्रयोग कर, नालियों में, तलाबों, झील के पानी, मिट्टी, उप–सतही सामग्री के संक्रमित कारक का उपचार किया जएगा;

(ध) राज्य की बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या की विकास की दर को ध्यान में रखकर अपने अधिकार क्षेत्रों की सीमा में होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु खरीद, प्राथमिक/

द्वितीयक भंडारण के सुविधा की स्थापना, आवश्यक अधारभूत संरचना, कार्य हेतु आवश्यक श्रम शक्ति (मानव संसाधन) को लगाया जायेगा।

(न) वार्षिक बजट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु आवश्यक पूंजीगत निवेश के साथ ही साथ इनके संचालन और अनुरक्षण हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रावधान का कड़ाई से पालन करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्षिक बजट अन्तर्गत स्थानीय निकाय के विवेकाधीन कार्यकलापों हेतु वित्तीय आवंटन इन नियमों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य अनिवार्य कार्यो के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता पूरी होने बाद ही किया जाएगा। प्राधिकारियों द्वारा इस प्रावधान के अनुपान में असफल होने के परिणाम स्वरूप असंतोषजनक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निम्न स्तरीय स्वच्छता को सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय के अधिकारियों / प्राधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा उनके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के तहत दंडात्मक कारवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरम्भ की जाएगी;

(प) शहर की संपूर्ण दैनिक सफाई व्यवस्था के प्रबंधन हेतु, अपनी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित किया जाएगा और इसे व्यापक रूप से जनता के बीच प्रचारित किया जाएगा;

(फ) उत्कृष्ट कार्य व्यवहार और प्रोत्साहनों को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छता और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन की पद्यति में योगदान देने वाले कर्मचारी/मजदूरों/व्यक्तियों/समूहों/संगठनों के द्वारा किये गए कार्य सहित ऐसे अन्य घटकों को सम्मानित एवं पुरूस्कृत करने हेतु एक उपयुक्त व्यवस्था–प्रणाली को विकसीत किया जाएगा।

(ब) कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन–आधारित गतिविधि के संकेतक को अपनाये जाने की प्रकिया अपनाई जाएगी, और एक अंतर–वार्ड प्रतियोगिता के माध्यम से एक सर्वश्रेष्ठ वार्ड और वार्ड के सबसे अच्छे कर्मचारी/कार्यकर्ता को पुरस्कृत कर उनके कार्य समुचित रूप से सम्मानित किया जा सकेगा;

(भ) अपने कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धाः को समुचित रूप से मान्यता दिए जाने के दृष्टिगत प्रत्येक माह एक अंतर–वार्ड पतियोगिता के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ वार्ड/माह के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी/कार्यकर्ता को उपयुक्त रूप सम्मानित किया जाएगा;

अध्याय 7

सड़क पर झाड़ू लगाना एवं सार्वजनिक कूड़ादान

26. सड़क पर झाड़ू लगाना

नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि –

(क) सड़क पर रोज एक बार झाड़ू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में दो बार झाड़ू उस व्यक्ति द्वारा लगाई जाएगी जिसे सड़क पर झाड़ू लगाने, गली की सफाई, कूड़ा–करकट तथा सतही नालियों से निकाली गई धूल तथा गाद से संबंधित कार्य दिया गया हो। वाणिज्यिक क्षेत्रों में दो बार झाड़ू लगनी चाहिए ;

(ख) सभी ऐसे कर्मचारियों/स्वच्छकारों, सफाई कर्मियों को जो कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कार्य कर रहे हों, उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण जिनमें हेल्मेट, पोशाक (यूनिफॉर्म), दूर से ही चमकने वाली प्रति दीप्तिशील (फ्लोरोसेंट) जैकेट, बरसाती, दस्ताने, उपयुक्त जूते और मास्क आदि शामिल हैं, को इन नियमों की अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा;

(ग) सभी सफाई कर्मी (झाड़ू लगाने वालों) को एक साल में दो सेट पोशाक (यूनीफॉर्म) दी जाएगी और जिन कर्मचारियों को संविदा अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित किया गया है उन्हें सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा इसे प्रदान किया जाएगा। नगरीय स्थानीय निकायों को इसके लिए कम से कम 2 हजार रूपये प्रति कर्मचारी की दर से अपने वार्षिक बजट में इसका प्रावधान करना होगा एवं जिन एजेंसियों को झाड़ू लगाने हेतु/ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए संविदा पर/आउटसोर्स के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंधित किया है उनके साथ भी इस विषयक प्रावधान सम्मिलित करना होगा;

(घ) सड़क से निकलने वाले कूड़े–करकट को जैविक निम्नीकरण योग्य, अजैविक निम्नीकरण योग्य और निष्क्रिय अपशिष्ट में पृथक्कृत कर ऐसे पृथक्कृत अपशिष्ट का भंडारण नियमों के अनुरूप हो, इसे झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(ड.) झाड़ू लगाने वाले सड़क पर झाड़ू लगाने के बाद एकत्र होने वाली पत्तियों, ठोस अपशिष्ट को जलाएंगे नहीं वरन उन्हें अलग से भंडारित कर अधिकृत व्यक्ति/एजेन्सी को सौंपेगे;

27. कूड़ेदान/अपशिष्ट पात्र

नगरीय स्थानीय निकाय निम्न सुनिश्चित करेंगे–

(क) सभी सार्वजनिक मार्गों पर और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े अस्थायी भंडारण हेतु समुचित संख्या में कूड़ेदान उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों और अंतराल पर उपलब्ध कराएंगें;

(ख) कूड़ेदान का निर्धारण आवासीय जनसंख्या, वाणिज्यिक गतिविधियों के स्तर, और किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा सार्वजनिक मार्ग की परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा जिससे कूड़े दान से कूड़ा ओवरफ्लों होकर बिखरने से रोका जा सके;

(ग) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कूड़ेदान का समुचित अनुरक्षण हो और इन्हें उपयोगी स्थिति में रखा जाय, कूड़ेदानों में से कचरे के बाहर बिखरने की स्थिति न हो, खुले वातावरण से इसका संपर्क न हो, जिससे जनता के लिए अपदूषण न हो या होने की सम्भावना हो, और पशु–पक्षियों द्वारा इसके बिखरने को रोका जा सके;

(घ) दैनिक आधार पर ऐसी उपयुक्त व्यवस्था बनाई जायेगी जिससे कि कूड़ेदान/कूड़े के डिब्बे में भरे हुए ठोस अपशिष्ट को नियमित रूप से साफ करने और हटाने को सुनिश्चित किया जा सके इसकी सफाई हेतु और इसे डोर–टू–डोर कलेक्शन सिस्टम या प्वाइंट–टू–प्वाइंट कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से अथवा किसी अन्य समुचित रूप से बनायीं व्यवस्था से इसे इस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि मार्ग सफाई से जनित कूड़े कचरें का मिश्रण नियमित प्राथमिक संग्रह प्रणालियों के माध्यम से संग्रहित होने वाले कचरे के साथ नहीं हो;

(ड.) कूड़ेदान में एकत्र सड़क सफाई के कूड़े–करकट, अपशिष्ट का परिवहन इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा जिससे कि,–

(i) जैविक–निम्नकरणी योग्य अपशिष्ट को समुचित गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा तक पहुंचाया जाए ;

(ii) अजैविक–निम्नकरणी योग्य अपशिष्ट को समुचित सामग्री पुर्नप्राप्ति सुविधा (एम. आर.एफ.) तक पहुंचाया जाए ;

(iii) गाद, धूल, रेत और अन्य निष्क्रिय अपशिष्ट को परिवहन, निपटान या प्रसंस्करण के लिए निकटतम अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, अंतरणकेन्द्र (ट्रांसफर–स्टेशन) या निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट निस्तारण स्थल तक पहुंचाया जाए ;

(च) इस नियमावली के तहत अथवा किसी अन्य प्रभावी विधि के अन्तर्गत ऐसे समस्त आवश्यक और समुचित कदम उठाये जायेंगे जिससे कूड़े–करकट के बिखराव को कम किया जाय यथा अतिरिक्त कूड़ेदान रखकर, जागरूकता अभियान चलाकर, प्रवर्तन अभियान चलाकर अथवा गैर सरकारी संगठन के भागीदारी आदि के द्वारा;

अध्याय 8

अपशिष्ट बीनने वाले की मान्यता एवं अधिकार

28. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे कि नगरीय विकास विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आदि के सहयोग से सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय इस नियमावली की अधिसूचना के छः माह के भीतर यह सुनिश्चित करेंगे कि—

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के क्रियाकलापों में औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से लोग सभी अपशिष्ट बीनने वालों के पहचान पत्र बन जाएं;

(ख) सभी कूड़ा बीनने वालों को निजी संचालकों एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से शिक्षित तथा लाभान्वित किये जाने के साथ साथ व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए समुचित प्रकार के उपरकरण जिनमें हैलमेट, पोशाक (यूनीफार्म), दूर से ही चमकाने वाली प्रदीप्तिशील (क्लोरोफोसेन्ट) जैकेट, रेनकोट, दस्तानें, उपयुक्त जूते और मास्क आदि शामिल हैं, को प्रदान किया जायेगा;

(ग) विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के विषयगत कार्यवाही की जायेगी जिससे इनके लिए एक औपचारिक प्रणाली बनाये जाने के सम्बन्ध में उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके जो विशेषकर और महज कचरा बीनने वालों के लिए न होकर व्यापक रूप में कमजोर वर्ग के लिए संचालित हैं;

(घ) कमजोर वर्गों हेतु लागू विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से कचरा बीनने वालों को निम्नवत् लाभान्वित किया जा सकेगा;

(i) मुफ्त चिकित्सकीय जांच एवं टीकाकरण का नियमित अंतराल पर और हर छह माह पर एक बार आवश्यक रूप से, आयोजन किया जाए। इसके साथ ही ऐसे प्रयत्न किए जाएं जिससे अपशिष्ट बीनने वालों और उनके बच्चों को होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे को कम अथवा समाप्त किया जा सके;

(ii) अपशिष्ट बीनने वालों और उनके बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा योजना;

(iii) अपशिष्ट बीनने वालों के कार्य स्थल पर स्वच्छता और स्वास्थ्य कर परिस्थितियों के उच्च स्तर को सुनिश्चित किया जाए;

(iv) डंप साईट पर कार्य करने वाले युवाओं को लक्षित कर सामाजिक सुरक्षा और शैक्षणिक योजनाएं, जो कि लागू करना;

(V) वित्तीय समावेश जिससे नियमानुसार क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई जाए;

(ङ) शैक्षणिक अभियान जिससे अपशिष्ट बीनने वालों के प्रति लोगों की सकारात्मक प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहित किया जा सके और पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट के पृथक्करण को प्रोत्साहन मिले;

(च) अपशिष्ट बीनने वालों के कार्य के पर्यावरण एवं आर्थिक रूप से महत्व के दृष्टिगत कोई भी ऐसी गतिविधि अथवा योजना संचालित, अंगीकृत एवं कार्यान्वित किया जाये जिससे अपशिष्ट बीनने वालों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति अथवा शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य का उत्थान हो;

अध्याय 9

प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्जेज)

29. प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्जेज)

(1) नगरीय स्थानीय निकाय समय–समय पर दी गयी अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं के लिए घरों/प्रतिष्ठानों/परिसरों पर प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क लगाएगा, जो कि इन नियमों के प्रावधानों में उल्लेखित अनुसूची 2 के तहत होंगे। इस शुल्क को प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा और पहली ऐसी वृद्धि 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी। अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016, अथवा ऐसे किसी नियम जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हो, को प्रभावी और समुचित प्रकार से लागू किए जाने हेतु अनुसूची 2 के प्रावधानों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार नगरीय स्थानीय निकाय कोई अन्य श्रेणी/प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क अतिरिक्त रूप से जोड़ सकता है;

(2) द्वार–द्वार संग्रहण अथवा अपशिष्ट के प्वाइंट टू प्वाइंट संग्रहण हेतु, यथा उपरोक्त, प्रयोक्ता प्रभार सिर्फ नगरीय स्थानीय निकाय अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/एजेन्सी द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा। इन दरों को समुचित रूप से नगरीय स्थानीय निकाय/संस्था/व्यक्ति द्वारा विज्ञापित व प्रचारित किया जाएगा और इन दरों को अपशिष्ट प्रबन्धन वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा। पारदर्शिता हेतु स्थानीय नगरीय निकाय अथवा उसके द्वारा कोई भी अधिकृत एजेंसी, एक ऐसी प्रणाली का विकास करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें प्रयोक्ता प्रभार अथवा जुर्माने की राशि को हैंड हेल्ड यंत्र प्रणाली के जरिए संग्रहित किया जाए;

(3) यदि किसी अपशिष्ट सामग्री को किसी व्यक्ति/पक्ष द्वारा इस प्रकार निस्तारित नहीं किया जाता जैसा कि इन नियमों के अधीन है, अथवा कचरे को इस हेतु निर्दिष्ट स्थलों, कूड़ेदान और अपशिष्ट पात्र, सड़क, पार्क अथवा अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर इस हेतु रखे गए कंटेनर में नहीं डाला जाता है और कचरे को ऐसी जगह फेंका/डाला जाता है जहां ऐसा करना प्रतिबंधित है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति/पक्ष पर यथानिर्दिष्ट सामान्य प्रयोक्ता प्रभार शुल्क के अलावा जुर्माना/शमन शुल्क भी लगाते हुए इसकी वसूली की जाएगी;

(4) किसी स्थिति में अगर नगरीय स्थानीय निकाय ने इन नियमों में निर्दिष्ट किसी सेवा के लिए पहले से ही प्रयोक्ता प्रभार तय कर लिया है तो नगरीय निकाय को उसके प्रयोक्ता प्रभार को इन नियमों की अनुसूची 2 में दिए गये प्रयोक्ता प्रभार/फीस के अनुसार अद्यतन करना होगा। किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय के प्रयोक्ता प्रभार इस नियम की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट शुल्क की दर से कम नहीं हो सकते हैं, परन्तु नगरीय स्थानीय निकाय सभी श्रेणियों की सेवाओं/उपयोगकर्ताओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार या विशेष श्रेणी की सेवा/उपयोगकर्ता के लिए

अनुसूची 2 वर्णित प्रयोक्ता प्रभार से अधिक दर पर प्रयोक्ता प्रभार संरचना को अधिसूचित कर सकता है, यदि उसे लगता है कि इस प्रकार का उच्च प्रयोक्ता प्रभार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु लागू इस नियमावली के प्रावधानों या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन करने हेतु यथाअवाश्यक व्यवस्था की वित्तीय पोषणीयता के लिए उचित है ;

(5) इस नियमावली के अनुसार लगाया गया जुर्माना या प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क यदि मौके पर ही अथवा मासिक आधार पर सम्बन्धित द्वारा जमा नहीं किये जाते हैं तो इसे उक्त घर/प्रतिष्ठान के सम्पत्ति कर बिल में जोड़ कर वसूली जायेगा;

(6) थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा इन–सीटू/आन साईट अपशिष्ट प्रबन्धन को प्रोत्साहन देने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय प्रयोक्ता प्रभार में प्रोत्साहन (छूट) प्रदान करने पर विचार कर सकता है, हालांकि, ऐसे थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा अपनाई गई ऑन साईट/इन–सीटू अपशिष्ट प्रबन्धन व्यवस्था का सत्यापन समुचित तरीके से लागू पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। थोक अपशिष्ट उत्सर्जक को प्रोत्साहन (छूट) दिए जाने के बारे में निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली नीति/प्रक्रिया सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही ऐसे प्रोत्साहन लाभ दिया जाना लागू किया जाएगा;

(7) प्रयोक्ता प्रभार के रूप में जो भी राशि उपयोगकर्ता अथवा संपत्ति कर के माध्यम से प्राप्त होगी उसे एक पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा और उसका एक मात्र उपयोग केवल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु किया जाएगा। राज्य सरकार इस राशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी कर सकती है;

अध्याय 10

प्रतिषेध एवं अपराध

30. सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फैलाना;

इस नियमावली के अनुरूप विहित प्रक्रिया अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिसूचित किसी निर्दिष्ट विहित प्रक्रिया के विपरीत कोई भी व्यक्ति किसी भी अपशिष्ट चाहे वह ठोस, अर्ध ठोस, तरल या ठोस समेत सीवेज और दूषित जल को किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क, मार्ग, गली, खुली जगहों, नाली या जल प्रणाली में नही फंकेगा और न ही जमा करेगा और न ही ऐसा कृत्य कारित होने के लिए माध्यम बनेगा;

व्याख्याः प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्वामित्व अथवा अधिवासित स्थान के परिसर के सामने या बगल का कोई भी सार्वजनिक स्थान जिसमें फुटपाथ, खुली नाली/गटर आदि सम्मिलित है, किसी भी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह ठोस, अर्ध ठोस, तरल या ठोस समेत सीवेज और दूषित जल से मुक्त हो और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपने परिसर में पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान अधिष्ठापित कराएंगे और यह भी सुनिश्चत करेगें कि दूषित जल की निकासी को सार्वजनिक सीवर/ड्रेनेज से जोड़ने के समुचित संयोजन हों;

31. खाली पड़े प्लाटों में कूड़ा डालना;

कोई अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता या नगरीय स्थानीय निकाय या कोई एजेंसी ठोस अपशिष्ट को किसी खाली पड़े प्लाट में नही फेकेगा न ही संग्रहीत करेगा। ऐसे किसी खाली पड़े प्लॉट के निजी या शासकीय स्वामी या कब्जा धारक का यह दायित्व होगा कि उपरोक्त के स्वामित्व/कब्जे की भूमि अपशिष्ट मुक्त हो;

32. जल प्रणाली में सामग्री के फेंकने से प्रदूषण;

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपशिष्ट किसी भी तरह की जलीय प्रणाली (प्राकृतिक अथवा मानव–निर्मित, यदि ऐसा करने को निर्दिष्ट न हो तो) में नही फेंकेगा। मूर्ति विसर्जन हेतु जहां आवश्यक हो, सिचाई विभाग या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा मिट्टी की मेड़ से अस्थाई तालाब निर्मित किया जायेगा। इन तालाबों की सतह पर हटाने योग्य कृत्रिम लाइनर्स रखे जा सकते है जिन्हे केंद्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमित अंतराल पर हटाया जा सके। वैकल्पिक उपाय के रूप में नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर तय किये गए ऐसे स्थल या, जल प्रणाली के सन्निकट या किसी अन्य स्थान पर अस्थाई बांस की संरचनाओं को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जहां नागरिकों द्वारा फूल, पत्ते, कपड़े, मूर्तियां, गहने और अन्य पूजा सामग्री को जमा किया जा सकता है और जिन्हें बाद में फिर प्रसंस्करण सुविधाओं या पुनर्चक्रण केंद्रों पर ले जाया जाएगा। जन जागरूकता के लिए विशिष्ट पत्रकों/पोस्टर आदि को तैयार कराया जाएगा और उनको वितरित किया जायेगा।

33. वाहनों द्वारा कूड़ा–गंदगी फैलाना;

सार्वजनिक या निजी वाहन, चाहे वो गतिमान हो या खड़ा हो, से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी मार्ग, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक चक्कर (यात्रियों के खड़े होने की जगह) पर न तो थूका जायेगा और न ही कूड़ा डाला जायेगा अथवा फेंका जायेगा। इसी प्रकार किसी भी वाहन का चालक अपने वाहन में बैठे किसी यात्री को वाहन से थूकने, कूड़ा डालने या फेकने नही देगा और न ही इसकी अनुमति देगा;

(व्याख्याः कोई भी व्यक्ति ऐसी ट्रक या कूड़े से भरे ऐसे किसी भी वाहन को नही चलायेगा जबतक उस वाहन की संरचना ऐसी नही हो कि वह कूड़े को ढक सके और उसे इस तरह न भरा गया हो, जिससे अपशिष्ट के बिखराव अथवा उसके किसी मार्ग, फुटपाथ, ट्रैफिक आईलैंड (यात्रियों के खड़े होने की जगह), खेल के मैदान, उद्यान या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फैलने की आशंका से बचाव सुनिश्चित हो।)

34. नाली में अपशिष्ट का निस्तारण;

कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अपशिष्ट किसी सीवर/नाली/नदी/तालाब /जल प्रणाली/बरसाती पानी के गटर में नही फेंकेगा।

35. पालतू पषुओं द्वारा कूड़ा गंदगी फैलाना;

पालतू जानवरों द्वारा सड़कों को पूर्ण रूप से अपशिष्ट के बिखराव से मुक्त रखने का पूर्ण दायित्व पालतू जानवर पालने वालों का होगा। पालतू जानवरों के स्वामी

अपने जानवरों को सड़क पर घुमाते समय उसे पट्टी से बोध कर रखना सुनिश्चित करेंगे, पालतू जानवर के मल करने की स्थिति में उसे उठाने के लिए पालतू जानवर के स्वामी थैला लेकर चलेंगे और उसे उठाकर निस्तारण हेतु अपने घर लेकर जायेंगे;

36. प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री, निर्माण और वितरण;

(1) कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक से बने ऐसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक कैरी बैग और ऐसे किसी भी सामान (कप, ग्लास, प्लेट्स चम्मच, गिलास इत्यादि जो प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग करने के लिए हैं) के निर्माण, बिक्री, वितरण, परिवहन, आयात या निर्यात में किसी भी तरह से लिप्त नही होगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर–अजैवीय निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट (विनियमन) अधिनियम, 2000, समय–समय पर संशोधित, के तहत अधिसूचना संख्या 1056/IX –7–18–29(लखनऊ) / दिनांक 18, जुलाई 15, 2018 से वर्जित/प्रतिबंधित किया गया है;

(2) किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट अथवा किसी भी प्रकार का अपशिष्ट को बरसाती पानी के लिए बने गटर–नालियों (स्ट्राम वाटर ड्रेन), सड़क के फुटपाथ, सरकार या नगरीय स्थानीय निकाय की खाली पड़ी जमीन और/या सार्वजनिक सड़को के किनारों पर न फैलाएंगे न ही भंडारित करेंगे;

(3) कोई भी नगरीय स्थानीय निकाय या अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा से संबंधित एजेंसी, नगरीय ठोस अपशिष्ट को खुले वाहन में संग्रहित या परिवहन नही करेंगे।

37. स्वच्छता;

निम्नलिखित कृत्य किसी व्यक्ति के लिए प्रतिषिद्ध होंगे :–

(क) इन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई गयी निर्दिष्ट सार्वजनिक सुविधाएं/उपयोगिता से इतर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहाना, थूकना, पेशाब करना, मल त्यागना, बर्तन या वाहन धोना, पशुओं/चिड़ियों के समूह को

आहार खिलाना या उनके बीट/मल गिरने देना, या किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई सामग्री जमा करना/रखना।

(ख) गंदे पानी, कीचड़, मल, गोबर, मलमूत्र, प्रदूषित जल को अपने घर, संगठन, वाणिज्यिक प्रतिश्ठान के अपने परिसर में जमा होते देना अथवा उसे सार्वजनिक मार्गों पर इस प्रकार बहने देना जिससे पर्यावरण में उसकी दुर्गन्ध या कियी अन्य कारण से प्रदूषण हो या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक हो;

38. सार्वजनिक सभा;

कोई भी व्यक्ति स्थानीय निकाय को तीन कार्य दिवस पहले सूचित किए बिना किसी भी स्थान पर ऐसा कोई कार्यक्रम या सभा नही करेगा जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो रहे हों। ऐसे व्यक्ति या आयोजक का यह कर्तव्य होगा कि इस आयोजन के कारण उक्त स्थल पर ही जनित होने वाले अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित कर, अपशिष्ट को कचरा संग्राहक या एजेंसी जैसा भी स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित निकाय ऐसे आयोजन के तुरंत बाद उस क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करेंगे;

39. प्रतिदेय स्वच्छता शुल्क;

किसी कार्यक्रम के आयोजक को आयोजन की अवधि के लिए संबंधित कार्यालय के पास निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी जो कि आयोजन के पूरा होने पर, सार्वजनिक स्थान को फिर से स्वच्छ कर दिया गया है और आयोजन के फलस्वरूप जनित अपशिष्ट का संग्रहण कर निर्दिष्ट स्थलों तक उसका परिवहन करा दिया गया है, यह सूचित करने पर और इस विषय में संबंधित अधिकारी की संतुष्टि होने पर वापसी दी जायेगी। उक्त प्रतिदेय मात्र सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता हेतु ही होगा और इसमें संपत्ति को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति शामिल नहीं होगी;

40. अपशिष्ट का जलाना;

किसी मार्ग के किनारे, या किसी निजी अथवा सार्वजनिक संपत्ति में किसी प्रकार के ठोस अपशिष्ट को जला कर निस्तारण करना प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध सभी

व्यक्तियों, सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार, झाड़ू लगाने वालों या नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारी, संविदा पर रखे गये कर्मचारी, कूड़ा बीनने वाले या किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा जो सड़कों, मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के झाड़ू लगाने और स्वच्छता में कार्यरत हैं।

41. अपशिष्ट के संग्रहण और फेंकने से संबंधित प्रतिबंध;

(1) कोई भी व्यक्ति दूषित जल कीचड़युक्त जल, मल, गोबर, पशुमल आदि अपनी इमारत, संस्थान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से इस प्रकार नहीं फेंकेगा या जमा नहीं करेगा जिससे पर्यावरण और भूमि में प्रदूषण हो और उसकी दुर्गन्ध से जन स्वास्थ्य को हानि हो या फिर यातायात में बाधा उत्पन्न हो;

(2) यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण फैलाते हुए या फिर सार्वजनिक खुले स्थानों पर मृत पशु/मवेशी की लाश या उसकी मृत शरीर के टुकड़े फेंककर गंदगी आदि फैलाता पाया गया तो वह नगरीय निकाय द्वारा लगाए गये जुर्माने के साथ–साथ उस अपशिष्ट को हटाये जाने का अलग शुल्क जैसा की निर्धारित किया जाये को जमा करेगा ;

42. कतिपय विशेष उल्लघनों में नगरीय स्थानीय निकाय और/या अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के कर्तव्य;

(1) नगरीय स्थानीय निकाय किसी भी परिसर के स्वामी या अधिवासी को नोटिस देकर नोटिस में निर्दिष्ट किये हुए समयान्तर्गत और प्रक्रिया के अनुसार उसके द्वारा अपने परिसर में पड़े हुए अपशिष्ट को हटाये जाने का निर्देश दे सकता है;

(2) यदि स्वामी अथवा अधिवासी जिसके विरूद्ध नोटिस दी गई हो, उस नोटिस में दिए गए नियत समय में दिए गए निर्देशानुसार कार्य करने में असफल रहते हैं तो उस व्यक्ति के विरूद्ध नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया गया जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है;

(3) यदि स्वामी या अधिवासी जिस पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है, उनके द्वारा इस विषयगत अनुपालन 15 दिन के अवधि में सुनिश्चित नही किया जाता तो

संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय उक्त परिसर में प्रवेश कर उस अपशिष्ट को नियमानुसार हटाएगा। इस प्रकार निकाय द्वारा कराये गये कार्य में हुए व्यय को जुर्माने की राशि के अतिरिक्त संबंधित स्वामी या अधिवासी से वसूल किया जायेगा;

43. पृथक्करण, वितरण उवं संग्रहण के उल्लंघन से संबंधित प्रावधान;

किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्न कृत्य नहीं किया जायेगाः,—

(क) बिना पृथक्करण के और बिना यथा निर्दिष्ट तरीके से अलग—अलग कूड़ेदान में रखे हुये, किसी भी प्रकार का शुष्क, गीला, अथवा घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को किसी व्यक्ति द्वारा नही सौंपा जायेगा;

(ख) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पंजीकरण और अधिकृत हुए बिना ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नही किया जायेगा। किसी भी ऐसे विक्रेता या फेरी वाले द्वारा अपशिष्ट एकत्र करना प्रतिबंधित है जो नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पंजीकृत और अधिकृत न हो,और कोई भी व्यक्ति ठोस अपशिष्ट के द्वार—द्वार नियमित संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय अथवा उसके द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा नियुक्त अपशिष्ट बीनने वालों / संग्राहक के काम काज में बाधा नही पहुचाएगा;

(ग) निर्दिष्ट तरीके से पृथक्कृत नहीं किये गये निर्माण एवं धवस्तीकरण अपशिष्ट को सौंपना;

(घ) निर्दिष्ट तरीके से पृथक्कृत नहीं किया गया उद्यान अपशिष्ट और पेडों की छंटाई से निकली डाल, पट्टी आदि को सौंपना;

(ङ) निर्दिष्ट तरीके से पृथक्कृत नहीं किया गया मत्स्य पालन, कुकुटपालन, मांस अपशिष्ट को सौंपना;

(च) कोई भी थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता, ऐसे अपृथक्कृत अपशिष्ट को ऐसी स्थिति में संग्रहित और सौपने (डिलीवर) का कार्य नही करेगा जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016,

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमा पार संचालन) नियम 2016 और ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निर्दिष्ट नियमों के अनुपालन में न हो;

(छ) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियो का समूह किसी भंडारा अथवा लंगर का आयोजन कर रहा है और उसने अपशिष्ट के पृथक्कृत हेतु समुचित पात्रों, कूड़ेदान को उक्त आयोजन स्थल पर उपलब्ध नही कराया है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति का समूह यथा निर्दिष्ट अधिरोपित जुर्माने को जमा करने के उत्तरदायी होंगे।

44. नालियों/सीवर/सेक पिट हेतु प्रावधान;

किसी भी व्यक्ति के द्वारा निम्न कृत्य प्रतिबंधित होंगेः ;

(क) बरसाती पानी के निकास हेतु निर्मित नाले (स्ट्राम वाटर ड्रेन), सड़क, खुले मैदान, जल प्रणालियों, जलमार्गों, कृषि भूमि, अथवा अन्य गैर निर्दिष्ट स्थान पर निजी नालियों/सीवर लाइन द्वारा घरेलू सीवेज/मल–जल/अपशिष्ट को प्रवाहित करना या प्रवाहित करने का कारण बनना;

(ख) किसी ऐसे पदार्थ को नाली के प्रवाह में आने देना जिससे नाली को क्षति पहुंचने की आशंका हो या फिर सार्वजनिक सीवर लाइन में उसके प्रवाह को बाधित करना;

(ग) खुले नालों और/या मैनहोल में किसी भी ऐसे पदार्थ को जमा करना या जमा करने का कारण बनना, जिसके कारण सीवर लाइनों में बाधा उत्पन्न हो/उसके जाम होने की स्थिति बने। यह प्रावधान नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचाारियों के लिए भी लागू हैं जो सड़क की सफाई से निकला कूड़ा करकट, सेप्टिक टैंक से निकली गाद, जनित हुए निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट आदि को खुले नालों में जमा करते हैं;

(घ) किसी भी उद्योग, कुटीर (घरेलू) उद्योग, वधशालाओं और मांस बाजार, दुग्ध और पशुपालन, कार्यशाला या गैराज की गतिविधि की वजह से उत्सर्जित हुए औद्योगिक

अपशिष्ट अथवा अन्य किसी अपशिष्ट को बिना आवश्यक यथा निर्दिष्ट उपचार के सार्वजनिक सीवर/नालों में बहाना या बहाए जाने का कारण होना;

(ड) किसी भी कर्मचारी/ठेकेदार/एजेंट को बिना उचित सुरक्षात्मक उपकरण और सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा उपायों के सेप्टेज, गंदे नाले, सीवरेज के कार्य करने हेतु हाथ से संचालन (मैनुअल हैंडलिंग) की अनुमति देना।

(च) सेप्टिक टैंकों की सफाई के बाद निकले अपशिष्ट, मल को जलमार्गों, जलाशय, नालों, खुली भूमि, कृषि क्षेत्र या किसी अन्य गैर–निर्दिष्ट स्थान पर प्रवाहित करना, अपितु ऐसे अपशिष्ट को केवल निर्धारित फिकल स्लज/सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्दिष्ट जगहों पर ही प्रवाहित किया जायेगा;

(छ) इन नियमों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्धारित नियम/निर्देशों के तहत सुरक्षा और बचाव के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए बिना, किसी कर्मचारी को सीवेज मैनहोल में काम करने भेजना या कार्य हेतु लगाना;

(ज) अपने परिसर अथवा स्वयं द्वारा नियंत्रित किसी भी परिसर में जल जमाव/ठहराव/अपशिष्ट डंपिंग/अस्वास्थ्यकर स्थिति/अस्वच्छ स्थितियों/दरार आदि उत्पन्न होने की उेसी स्थिति को विद्यमान होने देना जिस से वेक्टर जनित होने अथवा इसके लिए अनुकूल स्थितियां बनें;

नगरीय स्थानीय निकाय को अपने क्षेत्र में जनित अपशिष्ट के स्थायी आधार पर उपचार करने का प्रयास करना चाहिए। उपर्युक्त स्थिति प्राप्त करने तक नगरीय स्थानीय निकाय को बायो रेमेडिऐशन/फाइटो रेमेडिऐशन/कंस्ट्रकटेड वेटलैंड टेक्नोलाजी/ऐसी अन्य किसी तकनीक को अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नालों का कोई भी अनुपचारित सीवेज किसी भी पदी या वाटर बाडी तक न पहुंचे।

नगरीय स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी)/ राज्य वित्त आयोग(एसएफसी)/किसी अन्य वित्तीय उपलब्ध संसाधन के व्यय करने की पहली प्राथमिता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय की होगी।

45. अन्य प्रतिषिद्ध गतिविधियां,–

निम्न में से कोई गतिविधियां नही की जायेगी;–

(क) विक्रय के स्थान पर किसी भी विक्रेता/फेरीवाले द्वारा अपृथक्कृत जैविक–निम्नीकरणीय या किसी अन्य प्रकार के अपशिष्ट रखना;

(ख) यदि कोई भी व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता कोई ऐसा आयोजन या गतिविधि करता है जहां सौ से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, और ऐसे आयोजन के 4 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोजन स्थल को गंदा या अस्वच्छ रखता है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, आवासीय समितियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता जो नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के बाहर रहते हैं परन्तु अपना अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर डालते हैं तो ऐसा कृत्य करने वाले संबंधित व्यक्तियों, परिवारों, आवासीय समितियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं पर निर्धारित पेनाल्टी के अनुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा;

(घ) यदि नगरीय स्थानीय निकायों की सीमा के बाहर के क्षेत्रों और सीमांत गांव/ग्राम पंचायतें अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा में डाला जाता है तो ऐसे क्षेत्र/ समीपवर्ती गांव/ग्राम पंचायतें को भी निर्धारित शुल्क के अनुसार अर्थ दंड जमा करने हेतु उत्तरदायी होंगें;

(ङ) बिना अनुमति के, इन नियमों के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकाय अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहन, कूड़ेदान–अपशिष्ट पात्र, हाथ–गाड़ी, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा और उपकरण को हटाना;

(च) नदियो/जलाशयों/नालों/कैचमेंट क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण;

अध्याय 11

अर्थदंड एवं स्थलीय जुर्माना (पेनाल्टी एवं स्पॉट फाइन)

46. स्थलीय जुर्माना (स्पॉट फाइन);

(क) अपदूषण संसूचक (न्यूसेंस डिटेक्टर) अथवा कोई अन्य कर्मचारी/एजेंट/प्रवर्तन दल के सदस्य अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत किये गए किसी अन्य व्यक्ति के पास यह अधिकार होगा कि वे इन नियमों के उल्लंघन की दशा में कूड़ा बिखेरने और अथवा लोक अपदूषण (पब्लिक न्यूसेंस) करने पर अधिरोपित किये जाने वाले अर्थ दंड के विषयगत, अनुसूची 3 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप स्थलीय जुर्माना (स्पॉट फाइन) लगाने के लिए सक्षम होंगे;

(ख) यदि कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माना जमा करने की स्थिति में नहीं है, तो उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा।

47. इस नियमावली के उल्लंघन के लिए लगाया जाने वाला शुल्क;

(क) जो भी इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा इस नियमावली के अधीन अपेक्षित कृत्यों का पालन करने में विफल रहता है, वह अनुसूची–3 में वर्णित जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) **शमन शुल्कः** इस नियमावली के उल्लंघन की निरंतरता की स्थिति में मूल अर्थदंड/जुर्माने के अलावा प्रत्येक दिन के उल्लंघन के लिए अधिरोपित किये गए निर्धारित अर्थदंड शुल्क के बराबर अथवा प्रतिदिन रुपये 100 की दर से जो भी अधिक हो लगाया जायेगा;

(ग) उपरोक्त के अनुपालन हेतु किसी सफाई कर्मी या पर्यवेक्षक को यदि समुचित उपकरण और संसाधन नहीं दिये गये हैं तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। सफाईकर्मी एवं पर्यवेक्षक उपकरण आदि की मांग नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के समक्ष इस नियमावली की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर रखेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय आवश्यक उपकरण मांग प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर

उपलब्ध कराएगा। सफाई कर्मी/पर्यवेक्षक द्वारा की गयी मांग की एक प्रति भी भेजी जानी चाहिए।

(घ) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय के ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करनी चाहिये जो पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को संग्रहण के स्थल पर या परिवहन के दौरान मिश्रण करते हैं और/अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के किसी प्राविधान का उल्लंघन करते हैं। दोषी कर्मियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने में अर्थदंड, अनुशासनात्मक कार्यवाही, वेतन में कटौती आदि को शामिल करना चाहिये।

(ड़) यदि कोई एजेंसी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है अथवा उसके किसी प्रावधान का पालन करने में असफल रहती है, तो नगरीय स्थानीय निकाय को ये अधिकार होगा कि वह एजेंसी के विरूद्ध निम्नलिखित वर्णित में से एक या एक से अधिक कार्यवाही करें;–

(1) एजेंसी के विरूद्ध उपयुक्त अर्थदंड अधिरोपित करना;

(2) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए नगरीय स्थानीय निकाय के साथ अनुबंध या व्यवस्था को समाप्त करना जिसमें रियायत अनुबंध को रद्द करना षामिल है;

(3) इस नियमावली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और लागू विनियमों के तहत किसी भी ठोस अपशिष्ट संग्रह, परिवहन या प्रसंस्करण सुविधा को संचालित करने के लिए किसी भी लाइसेंस का निलंबन या निरस्तीकरण;

(च) नगरीय स्थानीय निकाय इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने की स्थिति उत्पन्न होने पर इस नियमावली में वार्णित प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के अलावा यथाआवश्यकता किसी अन्य कानून जैसे की पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, भारतीय दंड संहिता 1860, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत उपयुक्त कार्यवाही किये जाने को स्वतंत्र होंगे;

(छ) नगरीय स्थानीय निकाय अथवा उसकी ओर से इस नियमावली के अधीन संग्रहित स्थलीय जुर्माने (स्पॉट फाइन) और शुल्क की समस्त राशि को एक ऐसे पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा जो कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के वित्तपोषण

के लिए बनाया गया हो। इस राशि का उपयोग सिर्फ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा इस नियमावली के अधीन ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा;

(ज) अर्थदंड शुल्क/स्थलीय जुर्माने (स्पॉट फाइन) प्राथमिक रूप से इस नियमावली के प्रावधानों को लागू कराने के लिए हैं अतएव इन्हें राज्य केन्द्र सरकार द्वारा अन्य प्रचलित नियम/अधिनियम/प्रावधान से जोड़कर पढ़ा जाये;

अध्याय 12

विविध

48. शासन के विभागों/निकायों से समन्वयः

(1) नगरीय स्थानीय निकाय को इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अन्य सरकारी एजेंसियों, विभागों और प्राधिकारियों से समन्वय करना होगा;

(2) एक साल की समयावधि में सभी नगरीय स्थानीय निकायों को पृथक्कृत अपशिष्ट का शत–प्रतिशत द्वार–द्वार संग्रहण सुनिश्चित करना होगा;

(3) एक साल की समयावधि में सभी नगरीय स्थानीय निकायों को जैविक अपशिष्ट का शत–प्रतिशत प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का शत–प्रतिशत पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना है;

(4) **कार्यान्वयन की समीक्षाः** नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा मासिक रूप से अनुश्रवण, मूल्यांकन और दक्षतामापन (बेंचमार्किग) हेतु सत्यापित किये जाने योग्य लक्ष्य को निरूपित करेंगें, जिन्हें पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट/जिला एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा;

(5) **नियमावली की समीक्षाः** नगर विकास विभाग इस नियमावली के प्रावधानों की समीक्षा और मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करेगा कि क्या इन नियमों में किसी प्रकार के संशोधन, इन्हें अद्यतन करने की कब और कैसी आवश्यकता है और किसी भी परिस्थिति में, यह तीन वर्ष में एक बार, और यदि आवश्यक हो तो उसके पहले भी, किया जायेगा;

(6) **कठिनाईयों के निवारण की शक्तिः** यदि इन नियमों के प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो, इस कठिनाई को दूर करने के लिए नगर विकास विभाग, ऐसे प्रावधान बना सकता है या ऐसे निर्देश दे सकता है, जो इन नियमों के प्रावधानों के असंगत ना हों और जो इसके लिए आवश्यक हों;

(7) **निरसन एवं सरंक्षण** : प्रासंगिक नियमों के तहत किए गए किसी भी कार्य, अथवा की गयी कार्रवाई के बावजूद, यह नियमावली पूर्व में किये गए किसी कृत्य की वैधता, अमान्यता, प्रभाव अथवा परिणाम या पीड़ा, या अधिकार स्वामित्व, दायित्व या पूर्व में अर्जित देयता, उपार्जित या आरोपित या उसके संबंध में किसी भी राहत या कार्यवाही या किसी भी ऋण, जुर्माना, दायित्व, देयता, दावे या मांग या छूट अथवा पहले से प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति या पूर्व के किसी कृत्य अथवा वस्तु के प्रमाण को प्रभावित नहीं करता।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

अनुसूची 1

अपशिष्ट का वर्गीकरण

अपशिष्टों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होगाः

(1) **''राख या भस्म''** इनमें वे सभी अवशिष्ट होंगे जो लकड़ी, कोयला, काठ–कोयला (चारकोल), कोक (बुझे हुए पत्थर के कोयले) या अन्य ज्वलनशील सामग्रियों के, जो खाना पकाने या घरों, संस्थाओं और छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठिानों में जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनके जलने के बाद बच जाता है। इनमें बारीक पावडरनुमा अवशिष्ट, राख और धातु की तलछट (धातु भस्म) भी शामिल होंगे जो अक्सर धातु और ग्लास के छोटे टुकड़ों के साथ मिश्रित किये जाते हैं।

(2) **''जैव–निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट/गीले अपशिष्ट''** को अर्थ है ऐसी कोई भी सामग्री जिससे एक उपयुक्त समयावधि में सुक्ष्म जीवों द्वारा सरलतर स्थाई यौगिकों में निम्नीकरण किया जा सके, उदाहरण स्वरूप चाय पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छीलन, पका हुआ भोजन, छोड़ा गया भोजन, मांस के टुकड़े–हड्डियां, उद्यान और पत्तियों का करकट, फूल, पशु–मल, कागज के टुकड़े, घर की सफाई के बाद की धूल, राख आदि।

(3) **''जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट''** में ऐसी सभी सामग्री भी शामिल होगी जिसे विशेष तौर जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 अथवा उसके किसी संशोधन में परिभाषित किया गया हो;

(4) **''थोक उद्यान एवं आगवानी के अपशिष्ट''** में ऐसा थोक जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट सम्मिलित होगा जो सार्वजनिक अथवा निजी पार्कों, उद्यानों, यातायात चौराहों, बंगलों, थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं जैसे कि आवासीय और वाणिज्यिक इमारतों, आवासीय सोसाइटी और अन्य ऐसे संस्थानों जिनके परिसर में उद्यान, पेड़ आदि हैं उसके कारण जनित होता है जिसमें घास और लकड़ी की छाल, घासफूस, 'भूरे' कार्बनयुक्त सामग्री लकड़ी की छाल, शाखायें, टहनियां, लकड़ी की कतरन, पुआल या मृत पत्ते और पेड़ की कतरनें शामिल हैं जिन्हें जैविक **निम्नीकरण योग्य** अपशिष्ट (गीले कचरे) के द्वार–द्वार दैनिक संग्रहण व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता।

(5) **''भारी अपशिष्ट''** में वह वाणिज्यिक/आवासीय अपशिष्ट शामिल होगा जिसे अपने आकार, भार या मात्रा की वजह से, नगरीय स्थानीय निकाय अथवा उसके द्वारा अधिकृत अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी के की मद में, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित द्वार–द्वार संग्रहण प्रणाली में शामिल करना उपयुक्त नहीं होगा, जैसे कि फर्नीचर, टीवी, फ्रिज आदि।

(6) **''ज्वलनशील अपशिष्ट''** का अर्थ है प्लास्टिक, लकड़ी, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्री को छोड़कर वह जैव निम्नीकरण योग्य, गैर पुनर्चक्रणीय, गैर–पुनःउपभोज्य,

गैर–परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट जिनका कैलोरीफिक मान 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से न्यून न हो;

(7) **''वाणिज्यिक अपशिष्ट''** में वह अपशिष्ट सम्मिलित होगा जो कार्यालयों, थोक और फुटकर स्टोर, भोजनालय, बाजार, वेयरहाउस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि में लिप्त हों, वहां से उत्पन्न होता है। इन अपशिष्टों में मलबा और करकट शामिल है।

(8) **''वाणिज्यिक या घरेलू खतरनाक अपशिष्ट''** में घरेलू या व्यक्तिगत स्तर पर उत्पन्न होने वाला वह अपशिष्ट सम्मिलित होगा जो खतरनाक रासायनिक पदार्थों से प्रदूषित है, अथवा संक्रामक अपशिष्ट है, और इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैंः

(क) **घरेलू क्लीनरः**

- अपघर्षक चूर्ण (एब्रेसिव पावडर)
- अमोनिया एवं अमोनिय–आधारित क्लीनर्स
- क्लोरीन ब्लीच
- नाली खोलने वाले पदार्थ

(ख) **मोटरवाहन से संबंधित उत्पादः**

- ब्रेक एवं ट्रांसमिशन फ्लूइड
- कार की बैटरियां
- ईंधन–जैसे इस्तेमाल हो चुका डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल
- व्यर्थ हो चुका इंजन ऑयल और लुब्रीकेटिंग ऑयल
- ऑयल फिल्टर, कार केयर एवं उपभोग्य उत्पाद

(ग) **पेंट उत्पादः**

- इनैमल
- तेल (ऑयल) आधारित, लेटेक्स या जल (वाटर) आधारित पेंट
- पेंट सॉल्वेंट्स और थिनर्स
- तेल, चिपकने वाले पदार्थ और उनके खाली डिब्बे

(घ) **जैव चिकित्सकीय अपशिष्टः** जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में उल्लेखित किये गये अपशिष्ट, जिनमें शामिल हैं फेंक दी गयी और पुरानी पड़ चुकी दवाएं, कोशिकाविषी दवाएं, तरल पदार्थ, गोलियां, इंजेक्शन, सुइयां, सिरिंज, छूरी, ब्लेड्स और अन्य धारदार वस्तुएं, जिनसे कुछ कटने और पंचर होने की आशंका; थर्मामीटर और पारा आधारित उत्पाद, रक्त और दूसरे शारीरिक स्त्राव से दूषित सामग्री जिसमें रूई, पट्टी, प्लॉस्टर को दूषित कास्ट,

अस्तर, चादर और दूसरी सामग्री जो रक्त से दूषित हो यथा– ट्यूब्स, कैथिटर, आईवी आदि शामिल हैं;

(ड.) **विविध उत्पादः**

- सौंदर्य प्रसाधन
- बैटरी एवं बटन सेल
- फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त ऑडिया/वीडियो टेप और उनके रखने वाले डिब्बे और रसायन
- शौचालय साफ करने वाला तेजाब
- कीटनाशक, शाकनाशक और चींटी, कॉकरोच और मच्छर मारने वाले रसायन और उनके खाली डिब्बे
- रासायनिक खाद
- बल्ब, ट्यूबलाइट और सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स)
- एयरोसोल के डिब्बे
- स्टायरोफोम और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले साफ्टफोम

(9) **''निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट (सी एंड डी अपशिष्ट)''** का अर्थ है वह अपशिष्ट जो किसी ढांचे के निर्माण, रिमॉडलिंग, मरम्मत, नवीनीकरण अथवा ध्वस्तीकरण अथवा जमीन की सफाई, खुदाई, गाद निकालने की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में ''ढांचे'' का अभिप्राय सभी तरह की इमारतें (घरेलू और गैर–घरेलू), सुविधाएं, आधारभूर संरचनात्मक सुविधाएं और अन्य किसी प्रकार की मानव–रचित संरचना है। निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट में यह भी शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है – ईंट, कंक्रीट, मलबे, गारे, चुनाई की सामग्री, मिट्टी तक सीमित न होकर पेड़, अन्य किसी भी प्रकार की वनस्पति, चट्टान, लकड़ी (रंगाई की हुई, उपचारित और लेपित लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद) भूमि समाशोधन अपशिष्ट, दीवार आवरण, प्लास्टर, ड्राईवाल, प्लंबिंग की वस्तुएं, गैर–परिसंकटमय इन्सुलेशन, रूफिंग, जलरोधक (वाटर–प्रूफिंग) सामग्री और छत के अन्य आवरण, फुटपाथ डामर, कॉच, प्लास्टिक, कागज, जिप्सम बोर्ड, बिजली के तार और घटक जिनमें कोई खतरनाक सामग्री न हो, पाइप, स्टील, एल्यूमीनियम और गैर–परिसंकटमय धातु जिनका उपयोग संरचनाओं के निर्माण में किया जाता है। निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट में ऐसे अपशिष्ट शामिल नहीं होंगे (भले ही वे निर्माण, रिमॉडलिंग, मरम्मत या संरचनाओं को नष्ट करने या भूमि समाशोधन गतिविधियों से उत्पन्न हों) जो खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के तहत खतरनाक अपशिष्ट, या ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अलग से परिभाषित है।

(10) **''मृत पशु''** में ऐसे पशुओं के मृत शरीर और उनके अवशेष सम्मिलित होंगे जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से या किसी दुर्घटना की वजह से हो गयी है। इनमें वधशालाओं, कसाईबाड़ा

और मांस के बाजार आदि में जनित मृतक पशुओं के अवयव और उनके शरीर के अवशेष आदि शामिल नहीं है।

(11) **''वधशाला / मटन / चिकन अपशिष्ट''** में वह अपशिष्ट शामिल होगा जो वधशालाओं, मांस की दुकानों, मत्स्य पालन, मछली बाजार या चिकन के दुकानों में उत्पन्न होता है।

(12) **''ई–अपशिष्ट''** का अर्थ वे अपशिष्ट हैं जिन्हें ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम **2016** और उसके समय–समय पर हुए संशोधनों के अनुरूप परिभाषित किया गया हो जैसे कि ऐसा अपशिष्ट जो बिजली उपकरण या इलेक्ट्रानिक सामान या उनके हिस्से जिन्हें अपशिष्ट समझकर उपभोक्ता द्वारा त्याग दिया गया हो।

(13) **''खतरनाक अपशिष्ट''** में ऐसा अपशिष्ट सम्मिलित होगा जो अपनी किसी भी भौतिक, रासायनिक, प्रतिक्रियाशील, विषाक्त, ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक विशेषताओं के कारण, चाहे अपने सतह या अन्य किसी कचरे अथवा सामग्री के सम्पर्क में आने पर, स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरे का कारण बनता है या बन सकता है, और इसमें वे सभी खतरनाक अपशिष्ट शामिल हैं जो परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम 2016 या उसके किसी भी संशोधन में परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में परिभाषित हैं;

(14) **''घरेलू / आवासीय अपशिष्ट''** में वह अपशिष्ट शामिल होगा जो एकल अथवा बहु–परिवारों द्वारा घरेलू गतिविधियों या फिर आवासीय क्रियाकलापों की वजह से उत्पन्न हुआ, जैसे खाना पकाना, सफाई, मरम्मत, शौकिया काम–काज, सजावट, खाली डिब्बे, पैकिंग, कपड़े, किताबें, लिखने के कागज, समाचार पत्र, घरेलू सामान, टेलीविजन, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि;

(15) **''औद्योगिक अपशिष्ट''** में विनिर्माण प्रक्रिया और औद्योगिक संचालन के दौरान इस्तेमाल न की गयी या फेंकी गयी ठोस सामग्री शामिल होगी, जिनमें प्रत्येक उद्योग से संबंधित कई प्रकार की सामग्री सम्मिलित है। इनमें छोटे औद्योगिक संयंत्रों के ठोस अपशिष्ट, बिजली संयंत्रों से निकली राख जिन्हें नगर निकायों की इैंडफिल में अक्सर निस्तारित किया जाता है, भी शामिल हैं;

(16) **''निष्क्रिय अपशिष्ट''** में ऐसा कोई ठोस अपशिष्ट या किसी प्रक्रिया का अवशिष्ट शामिल होगा जिसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं उसे सैनेटरी लैंडफिल के उपयुक्त बनाती है;

(17) **''संस्थागत अपशिष्ट''** में ऐसे अपशिष्ट शामिल होंग जो संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं आदि से उत्पन्न होते हों;

(18) **''तरल अपशिष्ट''** में सीवर–नालों का तरल अपशिष्ट, सीवरेज अपशिष्ट शामिल होगा;

(19) **''नगरीय अपशिष्ट''** में वह अपशिष्ट सम्मिलित होगा जो नगरीय निकायों की सेवाओं और गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न हो और इसमें सार्वजनिक स्थलों पर फेंके गये अपशिष्ट, जैसे सड़क का कूड़ा–करकट, मृत पशु, बाजारों के अपशिष्टि आदि शामिल हैं

(20) **''गैर जैव–निम्नीकरणय योग्य अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट''** का अर्थ है कोई ऐसा अपशिष्ट या मलबा जो गैर जैव–निम्नीकरण योग्य सामग्री से बना हो और जिसका एक उपयुक्त समयावधि में सुक्ष्म जीवों द्वारा सरलतर स्थाई यौगिकों में निम्नीकरण न किया जा सके, जो लम्बी अवधि तक पर्यावरण में विद्यमान रहे या फिर किसी लागू विधि द्वारा निर्धारित समय तक रहे, और इसमें पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर–पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट और ज्वलनशील अपशिष्ट शामिल है पर इनमें सड़क का निष्क्रिय कूड़ा–करकट शामिल नहीं है।

(21) **''प्लास्टिक अपशिष्ट''** का अर्थ है कोई भी प्लास्टिक से बना उत्पाद जिसका उपयोग के परित्याग कर दिया गया हो अथवा वह अपनी अपेक्षित समयावधि पूरी कर चुका हो या फिर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम 2000 (2018 में संशोधित) में यथा निर्दिष्ट हो।

(22) **''पूजा सामग्री''** का अर्थ है किसी भी धर्म या संस्कृति की पूजा में प्रयुक्त किसी भी जैविक निम्नीकरण योग्य अथवा जैविक–अनिम्नीकरण योग्य सामग्री, मूर्ति या संबंधित सामग्री;

(23) **''पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट''** का अर्थ है कोई अपशिष्ट सामग्री जो प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रणीय हो इनमें निम्नलिखित शामिल है, किन्तु ये इन अपशिष्टों तक ही सीमित नहीं हैः

(क) **''कागज उत्पाद''** – समाचार पत्र, कंप्यूटर प्रिंटआउट लेखन हेतु उपयुक्त पेपर, लिफाफे, कार पार्क कूपन, ब्रोशर या पैम्पलेट, पत्रिकाएं, किताबें, कार्डबोर्ड और सामान पैक करने के लिए बने कागज के डिब्बे (जैसे अनाज के बक्से पेय कार्टन) खाद्‌य सामग्री को लपेटने के लिए कागज के पेपर फूड रैपर एवं अन्य कागज के उत्पाद;

(ख) **''धातु उत्पाद''** – धातु या धातु से बने डिब्बे, पात्र, बोतल कंटेनर जैसे शीतल पेय के कैन, दूध पावडर के डिब्बे और खाने के डिब्बे (फूड कैन्स);

(ग) **''प्लास्टिक और रबर उत्पाद''** – प्लास्टिक से बने बोतल या कंटेनर जैसे डिटर्जेंट के डिब्बे, दूध के डिब्बे, मिनरल वाटर की बोतलें, साफ्ट ड्रिंक की बोतले, जूस की बोतलें, प्लास्टिक की पैकेजिंग और अन्य प्लास्टिक उत्पाद लेकिन स्टायरोफोम, डिस्पोजेबल कटलरी, क्रॉकरी और पालीथिन कैरी बैग इनमें शामिल नहीं हैं;

(घ) **''ग्लास उत्पाद''** – जार, बोतलें, खिड़की के शीशे, चीनी मिट्‌टी के बर्तन, सिरेमिक और मछली पालन टैंक लेकिन प्रकाश बल्ब इनमें शामिल नहीं है।

(ङ.) कपड़ा, चमड़ा, रेक्सिन

(च) लकड़ी के उत्पाद

(24) **''अवशिष्ट अपशिष्ट''** का अर्थ है, और इसमें शामिल हैं, ऐसे अपशिष्ट और अनुपयोगी पदार्थ, जो सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण, उपचार एवं प्रसंस्करण सुविधा से उत्पन्न

होते हैं, और पुनर्चक्रण या किसी अन्य प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं हैं और भूमि भरण हेतु ही उपयुक्त हैं;

(25) **''सैनेटरी (स्वास्थ्यकर) अपशिष्ट''** में इस्तेमाल किये हुये सैनेटरी नैपकीन, तौलिया, टैंपून, कॉन्डोम, डायपर, इनकॉन्टिनेंस पैड्स/शीट्स और इससे मिलते–जुलत अपशिष्ट शामिल होंगे;

(26) **''ठोस अपशिष्ट''** का अर्थ है ठोस या अर्ध ठोस घरेलू अपशिष्ट, जिसमें नगरीय स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न किये गये या लाये गये यह अपशिष्ट शामिल हैं– स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक/आवासीय/संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट, तथा अन्य गैर–आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई से निकला अपशिष्ट, सतह नालियों से हटाई गई या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई–अपशिष्ट बैटरी अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट;

(27) **''सड़क सफाई से उत्पन्न कूड़ा''** में ऐसे अपशिष्ट शामिल होंगे जो सड़कों, फुटपाथों, गली पार्क या खाली पड़े स्थानों से संग्रहित किये गये हों;

अनुसूची–2

विभिन्न श्रेणी के अपिशिष्ट उत्सर्जनकताओं से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु लिए जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार शुल्क (प्रति माह)					
क्र0सं0	**श्रेणीः आवासीय घर** (एक मंजिला इमारत में यह भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल पर, और बहुमंजिला इमारत में कुल निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर आगणित होगा जो कि प्रत्येक परिवार/फ्लैट/ किरायेदार–जैसी भी स्थिति हो– पर अलग अलग देयता के रूप में लागू होगा) **टिप्पणीः यदि कहीं एक से ज्यादा परिवार (उदाहरण स्वरूप किराएदार) एक ही परिसर में रहते हैं तो अतिरिक्त परिवार जो कि एक पृथक अपशिष्ट उत्सर्जक (जनित करने वाला है) है उस पर तदानुसार निर्धारित शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होगा। इसी प्रकार बहुमंजिला इमारतों/अपार्टमेंट जिसमें एक से ज्यादा फ्लैट हो, उसमें हर फ्लैट स्वामी/किरायेदार पर शुल्क लगेगा और तदनुसार परिसर में रहने वाले समस्त परिवारों/फ्लैट/किराएदार/ की संख्या के आधार पर गणना किए गये शुल्क का संग्रहण उक्त परिसर से किया जाएगा**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	500 वर्ग फीट से कम	40 रूपये	35 रूपये	35 रूपये	30 रूपये
ii	500 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट तक	100 रूपये	80 रूपये	75 रूपये	50 रूपये
iii	2000 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2500 वर्ग फीट तक	125 रूपये	120 रूपये	100 रूपये	80 रूपये
iv	2500 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 5000 वर्ग फीट तक	200 रूपये	150 रूपये	135 रूपये	120 रूपये
v	5000 हजार वर्ग फीट से अधिक	350 रूपये	250 रूपये	200 रूपये	150 रूपये

2 क	**श्रेणीः दुकानें** (गैर वातानुकूलित दुकानों का, उनके आकार के आधार पर प्रयोक्ता प्रभार शुल्क) **टिप्पणीः यदि दुकानें पूर्णतयः अथवा आंशिक रूप से वातानुकूलित हैं तो प्रयोक्ता प्रभार शुल्क को 1.5 से गुणा किया जायेगा यानी प्रयोक्ता प्रभार शुल्क निम्नलिखित दरों का डेढ़ गुना होगाः**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	100 वर्ग फीट तक	80 रूपये	60 रूपये	50 रूपये	40 रूपये
ii	100 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 200 वर्ग फीट तक	100 रूपये	75 रूपये	60 रूपये	50 रूपये
iii	200 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 300 वर्ग फीट तक	125 रूपये	110 रूपये	100 रूपये	70 रूपये
iv	301 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 500 वर्ग फीट तक	200 रूपये	150 रूपये	125 रूपये	80 रूपये
v	500 वर्ग फीट से अधिक	200 रूपये + 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 10 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क	150 रूपये + 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 6 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क	125 रूपये + 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 5 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क	80 रूपये + 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क
2 ख	**श्रेणीः सड़क के किनारे विक्रेता/सड़क पर फेरी वाले/आदि (जिन्हें स्थाई संरचना से नहीं चलाया/संचालित किया जाता है)**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	**ठेला/गुमटी/खोमचे/फूड स्टाल/फेरी वाले/आदि**	75 रूपये	60 रूपये	50 रूपये	35 रूपये
ii	**सचल फूड वैन**	200 रूपये	175 रूपये	150 रूपये	100 रूपये

iii	**सड़क के किनारे के विक्रेता /फेरीवाले/खोमचे वाले/ खाने की दुकाने/ आदि जो कि साप्ताहिक/ कभी कभी के अवसरों पर आयोजित बाजारों में संचालन करते हैं (उदाहरण स्वरूप–साप्ताहिक बाजार)**	15 रूपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है	10 रूपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है	10 रूपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है	5 रूपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है
3	**श्रेणीः सरकारी विभागों (केन्द्रीय/राज्य सरकार) अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगमों के स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	4 कमरों तक	500 रूपये	400 रूपये	300 रूपये	200 रूपये
ii	4 कमरों से अधिक	500 रूपये + चार कमरों से अधिक होने पर 30 रूपये प्रति कमरा अतिरिक्त	400 रूपये + चार कमरों से अधिक होने पर 25 रूपये प्रति कमरा अतिरिक्त	300 रूपये + चार कमरों से अधिक होने पर 20 रूपये प्रति कमरा अतिरिक्त	200 रूपये + चार कमरों से अधिक होने पर 10 रूपये प्रति कमरा अतिरिक्त
4	**श्रेणीः छात्रावास (किसी शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में स्थित नहीं) जिन्हें निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है उदाहरण स्वरूप कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल, निजी छात्रावास आदि**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	10 बेड तक के छात्रावास	500 रूपये	400 रूपये	300 रूपये	200 रूपये
ii	10 बेड से अधिक के छात्रावास	500 रूपये + 50 रूपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए	400 रूपये + 40 रूपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए	300 रूपये + 30 रूपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए	200 रूपये + 20 रूपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए
5 क	**श्रेणीः गैर–वातानुकूलित वाणिज्यिक भोजनालय/रेस्टोरेंट/ढाबा/जलपान गृह/होटल/मिठाई की दुकानें आदि (जहां सिर्फ खाने की व्यवस्था हो और रात्रिविश्राम/लॉजिंग/यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था ना हो (यहां पर**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**

	शुल्क बैठने की क्षमता के आधार पर होगा)				
i	10 व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता	500 रूपये	500 रूपये	300 रूपये	200 रूपये
ii	10 से 20 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था	750 रूपये	750 रूपये	500 रूपये	350 रूपये
iii	20 से 50 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था	1000 रूपये	1000 रूपये	750 रूपये	500 रूपये
iv	50 से ज्यादा व्यक्तियों के बैठने की क्षमता (ऐसे परिसर जिनका उपयोग सामूहिक आयोजनों/बैंक्वेट बुकिंग के लिए उपयोग किया जाता हो)	2000 रूपये	2000 रूपये	1500 रूपये	1000 रूपये
ख	**श्रेणीः होटल जिनमें रात्रि विश्राम हेतु कमरे भी हों। प्रयोक्ता प्रभार चार्ज की गणना होटल के रेस्टोरेन्ट/होटल द्वारा प्रदान की जाने वाली खाने की सुविधा और ठहरने/अतिथि के रहने के दौरान जनित होने वाले अपशिष्ट को जोड़कर लागू की जाएगी। दोनों गणनाएं मासिक आधार पर करते हुए लागू की जाएगी। गणना निम्न प्रकार से होगीः (i) रेस्टोरेंट/भोजनालय, होटल द्वारा परिसर के भीतर दी जाने वाली व्यवस्था के प्रयोक्ता प्रभार शुल्क की 5क में दिए गए शुल्क के हिसाब से गणना होगी और उसे यहां 5 ख में निर्दिष्ट प्रयोक्ता प्रभार शुल्क से जोड़ दिया जाएगा**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	10 कमरों तक	2000 रूपये	1750 रूपये	1500 रूपये	1000 रूपये
ii	10 कमरों से अधिक किन्तु 20 कमरों तक	3500 रूपये	3000 रूपये	2500 रूपये	2000 रूपये
iii	20 से अधिक कमरे	3500 रूपये + 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 200 रूपये प्रति कमरे की दर	3000 रूपये + 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 200 रूपये प्रति कमरे की दर	2500 रूपये + 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 100 रूपये प्रति कमरे की दर	2000 रूपये + 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 75 रूपये प्रति कमरे की दर

		से अतिरिक्त शुल्क	से अतिरिक्त शुल्क	से अतिरिक्त शुल्क	से अतिरिक्त शुल्क
6	**श्रेणीः वाणिज्यिक कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय आदि (निर्मित क्षेत्रफल पर आधारित) टिप्पणीः यह प्रयोक्ता प्रभार शुल्क भवन में संचालित एकल कार्यालय के लिए है और यदि किसी भवन में कई कार्यालय संचालित हो रहे हैं तो हर कार्यालय का शुल्क परिसर में उस कार्यालय द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल के हिसाब से पृथक पृथक सम्बन्धित से वसूल किया जाएगा**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	1000 वर्ग फीट तक	300 रूपये	250 रूपये	200 रूपये	150 रूपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम	500 रूपये	400 रूपये	350 रूपये	200 रूपये
iii	2500 वर्ग फीट से ज्यादा, किन्तु भवन परिसर में कैटीन सुविधा उपलब्ध न हो	500 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	400 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 4 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	350 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	200 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
iv	2500 वर्ग फीट से ज्यादा, भवन परिसर में कैंटीन सुविधा उपलब्ध हो	500 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 10 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	400 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 6 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	350 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	200 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
7	**श्रेणीः सरकारी विभागों/स्थानीय निकाय/ के स्वमित्व वाले कार्यालय (उदाहरण स्वरूप ऐसे विभाग/कार्यालय जो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं) जिनके द्वारा**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**

	नागरिकों को गैर वाणिज्यिक आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती है।				
i	1000 वर्ग फीट तक	200 रूपये	175 रूपये	150 रूपये	100 रूपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम	350 रूपये	300 रूपये	250 रूपये	150 रूपये
iii	2500 वर्ग फीट से अधिक, किन्तु भवन परिसर में कैंटीन सुविधा उपलब्ध न हो	350 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	300 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	250 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	150 रूपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
iv	2500 वर्ग फीट से ज्यादा, भवन परिसर में कैंटीन सुविधा उपलब्ध हो	500 रूपये. 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	400 रूपये. 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 4 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	350 रूपये. 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त	150 रूपये. 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
8 क	**श्रेणीः गैर–आवासीय शैक्षणिक संस्थान (प्ले स्कूल/कोचिंग क्लास, स्कूल और कॉलेज)सरकारी या गैर–सरकारी दोनों तरह के** **टिपण्णी**–यदि कोई शैक्षणिक संस्थान अपने परिसर के भीतर कैंटीन चला रहे हैं तो यहां निर्देशित प्रयोक्ता प्रभार शुल्क को 1.5 से गुणा (डेढ़ गुणा) कर वसूल जाएगा। साथ ही यह प्रयोक्ता प्रभार शुल्क उन संस्थानों के लिए है जहां विद्यार्थी कक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, अगर स्कूल /संस्थान अपने परिसर में छात्रावास भी संचालित करते हों तो छात्रावास के कारण उत्पन्न अपशिष्ट के कारण एक अतिरिक्त प्रयोक्ता प्रभार शुल्क भी लगाया जाएगा जो, यथा उल्लेखित 8 ख , के अनुसार होगा।	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**

i	100 विद्यार्थियों तक	500 रूपये	400 रूपये	300 रूपये	500 रूपये
ii	100 से अधिक और 500 विद्यार्थियों तक	750 रूपये	600 रूपये	500 रूपये	350 रूपये
iii	500 से अधिक और 1000 विद्यार्थियों तक	1500 रूपये	1200 रूपये	1000 रूपये	700 रूपये
iv	1000 विद्यार्थियों से अधिक	1500 रूपये + एक हजार विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 200 रूपये की दर से अतिरिक्त	1200 रूपये + एक हजार विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 150 रूपये की दर से अतिरिक्त	1000 रूपये + एक हजार विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 100 रूपये की दर से अतिरिक्त	700 रूपये + एक हजार विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 50 रूपये की दर से अतिरिक्त
8 ख	**शैक्षणिक संस्थाओं के भीतर अथवा शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व वाले आवासीय छात्रावास (यहां निर्दिष्ट शुल्क 8क में लगाए गये प्रयोक्ता प्रभार शुल्क के अतिरिक्त हैं**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	छात्रावास में 100 विद्यार्थियों तक	1000 रूपये	800 रूपये	750 रूपये	500 रूपये
ii	100 से अधिक और 300 विद्यार्थियों तक	1500 रूपये	1200 रूपये	1000 रूपये	750 रूपये
iii	300 से अधिक और 500 विद्यार्थियों तक	2000 रूपये	1750 रूपये	1500 रूपये	1000 रूपये
iv	500 विद्यार्थियों से अधिक	2000 रूपये + पांच सौ विद्यार्थियों से अधिक होने पर, 200 रूपये प्रति 50 विद्यार्थियों की दर से अतिरिक्त	1750 रूपय + पांच सौ विद्यार्थियों से अधिक होने पर, 150 रूपये प्रति 50 विद्यार्थियों की दर से अतिरिक्त	1500 रूपये + पांच सौ विद्यार्थियों से अधिक होने पर, 100 रूपये प्रति 50 विद्यार्थियों की दर से अतिरिक्त	1000 रूपये + पांच सौ विद्यार्थियों से अधिक होने पर, 50 रूपये प्रति 50 विद्यार्थियों की दर से अतिरिक्त
9क	**श्रेणीः स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (क्लीनिक, डिस्पेंसरी, प्रयोगषालाएं, निदान केंद्र/पैथोलॉजिकल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स/आदि) टिप्पणीः**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**

	यह निर्दिष्ट प्रयोक्ता प्रभार शुल्क सिर्फ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के हैं यानी इनमें जैव– चिकित्सकीय अपशिष्ट शामिल नहीं है। ऐसे (जैव– चिकित्सकीय अपषिश्ट) अपशिष्ट का निस्तारण स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को अपने स्वयं के व्यय पर तद्नुसार करना होगा जैसा कि जैव– चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में निर्दिष्ट है।	**6 लाख या उससे अधिक हो**	**6 लाख से कम हो**		
i	बिना भर्ती बेड के (इनडोर मरीज सेवा के बिना) स्वास्थ्य सेवा सुविधा जिसका निर्मित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से कम हो	500 रूपये	400 रूपये	350 रूपये	200 रूपये
ii	बिना भर्ती बेड के (इनडोर मरीज सेवा के बिना) स्वास्थ्य सेवा सुविधा जिसका निर्मित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट अधिक किन्तु 2000 से कम हो	1000 रूपये	750 रूपये	500 रूपये	350 रूपये
iii	बिना भर्ती बेड के (इनडोर मरीज सेवा के बिना) स्वास्थ्य सेवा सुविधा जिसका निर्मित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से अधिक हो	2000 रूपये	1500 रूपये	1000 रूपये	500 रूपये
9ख	**संचालित किया जाता हो, (जैसे, सरकारी अस्पताल जिनमें रोगी भर्ती सुविधा मौजूद हो)**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	10 बेड से कम	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये
ii	10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम	3000 रुपये	2000 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये
iii	30 बेड और उससे अधिक	30 बेड तक 3000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 150 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 2000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 125 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 1500 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 75 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 1000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 50 रुपये की दर से अतिरिक्त

9 ग	**ऐसी स्वास्थ्य सेवा सुविधा जिसमें रोगी भर्ती (बेड) की व्यवस्था हो, और जिनका स्वामित्व और संचालन निजी व्यक्ति/कंपनी/सोसायटी या अन्य/द्वारा हो जिनका स्वामित्व सरकार का न हो (अर्थात निजी नर्सिंग होम/निजी अस्पताल)**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	10 बेड तक	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये
ii	10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम	5000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये	1500 रुपये
iii	30 बेड और उससे अधिक	30 बेड तक 5000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 400 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 3000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 250 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 2000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 150 रुपये की दर से अतिरिक्त	30 बेड तक 1500 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 100 रुपये की दर से अतिरिक्त
10	**श्रेणी : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) (अधिकृत क्षेत्र) (प्रयोक्ता प्रभार शुल्क सिर्फ गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु है। किसी भी प्रकार के परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण इकाई द्वारा अलग से अपने व्यय पर किया जायेगा)**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	1000 वर्ग फीट तक	500 रुपये	400 रुपये	350 रुपये	200 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से ज्यादा	500 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	400 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	350 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	200 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त
11	**गोदाम, माल–खाना (वेयर हाउस), शीत भंडारण गृह (क्षेत्र) टिप्पणी : प्रयोक्ता प्रभार शुल्क सिर्फ गैर**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**

	परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु है।	**6 लाख या उससे अधिक हो**	**6 लाख से कम हो**		
i	1000 वर्ग फीट तक	500 रुपये	400 रुपये	350 रुपये	200 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से ज्यादा	500 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	400 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	350 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त	200 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त
12	**मैरिज हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला हॉल, खुला स्थान (जिसमें अस्थाई टेंट/आयोजनों के स्टैण्ड ई व्यवस्था/वन टाइम इवेंट जिसमें अतिथि भोजन भी ग्रहण करते हैं।) इन्हीं सुविधाओं वाले होटल इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं। टिप्पणी : यहां निर्दिष्ट प्रयोक्ता प्रभार शुल्क प्रतिदिन के आधार पर हैं और शुल्क की गणना आयोजनकर्ता द्वारा प्लॉट में आयोजन के कुल क्षेत्रफल के आधार पर की जायेगी। ये आयोजनकर्ता का दायित्व होगा कि वो नगरीय स्थानीय निकाय को बुकिंग के दिनों/आयोजन की संख्या के बारे में सूचित करें।**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	300 वर्ग मीटर तक (यह आयोजन के प्रत्येक दिवस के हिसाब से नियत होगा और उसी प्रकार प्रभारित होगा)	1000 रुपये प्रतिदिन	800 रुपये प्रतिदिन	750 रुपये प्रतिदिन	500 रुपये प्रतिदिन
ii	300 वर्ग मीटर से अधिक	1000 रुपये + 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 5000)	800 रुपये + 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 3000)	750 रुपये + 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 2000)	500 रुपये + 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 1500)

13	**श्रेणी : पेट्रोल पंप**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	पेट्रोल पंप जिसके परिसर में किसी अन्य प्रकार की उपयोगिता की दुकानें न हों (यथा– किराने की दुकान/सर्विस स्टेशन आदि)	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये
ii	पेट्रोल पंप जिसके परिसर में किसी अन्य प्रकार की उपयोगिता की दुकानें हों (यथा–किराने की दुकान/सर्विस स्टेशन आदि)	1000 रुपये	700 रुपये	500 रुपये	400 रुपये
14	**श्रेणी : नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिमनेजियम/फिटनेस सेंटर। प्रयोक्ता प्रभार शुल्क क्षेत्रफल और सुविधा के प्रकार (वातानुकूलित/गैर–वातानुकूलित) के आधार पर होगा।**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिमनेजियम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार– वातानुकूलित एवं 500 वर्ग फीट से कम	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये
ii	नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिमनेजियम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार– वातानुकूलित एवं 500 वर्ग फीट से अधिक और 2000 वर्ग फीट से कम	1500 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये
iii	नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिमनेजियम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार– वातानुकूलित एवं 2000 वर्ग फीट से अधिक	2500 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये
iv	नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिमनेजियम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार–	200 रुपये	175 रुपये	150 रुपये	100 रुपये

	गैर–वातानुकूलित एवं 500 वर्ग फीट से कम				
v	नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिमनेजियम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार– वातानुकूलित एवं 500 वर्ग फीट से अधिक और 2000 वर्ग फीट से कम	400 रुपये	300 रुपये	250 रुपये	150 रुपये
vi	नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिमनेजियम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार–गैर वातानुकूलित एवं 2000 वर्ग फीट से अधिक	500 रुपये	350 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
15	**श्रेणी : प्रिंटिंग प्रेस (प्रयोक्ता प्रभार शुल्क सिर्फ गैर–परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु)**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	500 वर्ग फीट तक	350 रुपये	250 रुपये	200 रुपये	150 रुपये
ii	500 वर्ग फीट से ज्यादा	350 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	250 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 4 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	200 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	150 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त
16	**मोटर वाहन धुलाई/सर्विस सेंटर (गैराज/सर्विस सेंटर/विरचना केंद्र (फैब्रीकेशन सेंटर) (इनमें छोटी मरम्मत की दुकानें नहीं शामिल हैं, उन पर इस अनुसूची की क्रम संख्या 2 के अनुसार वाणिज्यिक दुकानों के मानकों के हिसाब से प्रयोक्ता प्रभार शुल्क प्रभारित होगा**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
i	1000 वर्ग फीट तक	500 रुपये	400 रुपये	350 रुपये	200 रुपये
ii	1000 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट तक	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये

iii	2000 वर्ग फीट से अधिक	1000 रुपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 20 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	750 रुपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 15 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	500 रुपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 10 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त	350 रुपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त
	अन्य श्रेणियां: (गतिविधियों पर आधारित)	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो**	**नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो**	**नगर पालिका परिषद**	**नगर पंचायत**
17	**मांस की दुकान/मछली की दुकान/चिकन (मुर्गे के मांस) या कोई अन्य ऐसी दुकान जहां पर कच्चा/बिना पकाया हुआ मांस विक्रय होता हो (वधाशालाओं को छोडकर)**	400 रुपये	350 रुपये	300 रुपये	250 रुपये
18	**वाइन की दुकानें (बियर की दुकान शामिल)**	750 रुपये	600 रुपये	500 रुपये	400 रुपये
19	**मॉडल लिकर शॉप (मदिरा की मॉडल शॉप)**	2000 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये	750 रुपये
20 क	**श्रेणीं : शॉपिंग माल्स जिनमें मल्टीप्लेक्स भी हैं (प्रतिदिन 5 टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु)**	25000 रुपये	20000 रुपये	15000 रुपये	10000 रुपये
20 ख	**श्रेणीं : शॉपिंग माल्स जिनमें मल्टीप्लेक्स भी हैं (प्रतिदिन 5 टन से ज्यादा अपशिष्ट उत्पादन हेतु)**	25000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) + प्रतिदिन 5 टन से अतिरिक्त उत्पन्न हाने पर, 5000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन की दर से	20000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) + प्रतिदिन 5 टन से अतिरिक्त उत्पन्न हाने पर, 5000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन की दर से	15000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) + प्रतिदिन 5 टन से अतिरिक्त उत्पन्न हाने पर, 5000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन की दर से	10000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) + प्रतिदिन 5 टन से अतिरिक्त उत्पन्न हाने पर, 5000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन की दर से
21	**सिनेमा हॉल (मॉल में स्थित मल्टीप्लेक्स से अलग) मासिक प्रयोक्ता प्रभार शुल्क की गणना सीटों के आधार**	10 रुपये	6 रुपये	5 रुपये	3 रुपये

	पर होगी। सिनेमा हॉल की कुल सीटों की संख्या को निर्दिष्ट फीस से गुणा कर इसकी गणना की जायेगी।				
22	**भंडारा/लंगर (किसी एक दिन होने वाले)**	200 रुपये	150 रुपये	125 रुपये	100 रुपये
23	**अन्य, जो उपरोक्त में वर्णित नहीं हैं।**	शहरी स्थानीय निकाय के आंकलन के अनुसार			

अनुसूची 3

अपराधों/उल्लंघनों हेतु जुर्माना (पेनाल्टी)/स्थलीय अर्थदंड (स्पॉट फाईन)

	विशिष्ट अपराध/उल्लंघन		**प्रभारित अर्थदंड शुल्क/जुर्माना (ऑन स्पॉट फाईन) नगर निगम में (जहां की आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो)**	**प्रभारित अर्थदंड शुल्क/जुर्माना (ऑन स्पॉट फाईन) नगर निगम में (जहां की आबादी 6 लाख कम हो)**	**प्रभावित अर्थदंड शुल्क/जुर्माना (ऑन स्पॉट फाईन) नगर पालिका में**	**प्रभारित अर्थदंड शुल्क/जुर्माना (ऑन स्पॉट फाईन) नगर पंचायत में**
कूड़ा फैलाने/अपदूषण (न्यूसेंस) करने/स्वच्छ आगंन के मानक के प्रत्येक उल्लंघन/प्रत्येक कृत्य हेतु जुर्माना/स्थलीय (ऑन स्पॉट) अर्थदंड के प्रावधान						
1		इस नियमावली में वर्णित प्रकिया और निर्देशों के विपरीत किसी सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर अपशिष्ट का ढेर लगाना, बिखेरना, फैलाना, फेंकना या फिर उसकी अनुज्ञा देना या अपशिष्ट के ढेर लगाना, बिखेरना फैलाना या फेंके जाने का कारण होना, इन नियमों के इस उद्देश्य हेतु निम्नलिखत सार्वजनिक और निजी स्थान शामिल हैं पर ये इन तक ही सीमित नहीं है :–				
	क	किसी अध्यासित खुली या रिक्त भूमि, खेल का मैदान या उद्यान	500 रूपये	400 रूपये	300 रूपये	200 रूपये

	ख	किसी जल प्रणाली के किनारे पर या फिर जल प्रणाली में यथा–नदी, सीवर, नाले, बरसाती पानी के नाले, गटर, जलमार्ग, कैचमेंट क्षेत्र आदि (इसमें पूजा सामग्री को प्रवाहित करना, फेंकना, शामिल है।)	750 रूपये	500 रूपये	400 रूपये	300 रूपये
	ग	सार्वजनिक मार्ग, सड़क या निजी मार्ग अथवा किसी ऐसे खाली मैदान पर जो किसी सड़क, मार्ग, फुटपाथ, डिवाइडर के बगल में हो	500 रूपये	400 रूपये	300 रूपये	200 रूपये
	घ	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय और अन्य चिकित्सा सुविधा संस्थान, धार्मिक स्थान, पुरातात्विक इमारतें	750 रूपये	500 रूपये	400 रूपये	300 रूपये

2	जान–बूझकर अपने परिसर/संपत्ति में किसी भी अपशिष्ट, मलबे, गंदगी आदि को इस प्रकार रखना, जमा करना अथवा, रखने/जमा करने देना की अनुमति देना जिससे वह 24 घंटे से अधिक समय तक उक्त परिसर में इकट्ठा रहे		500 रूपये	400 रूपये	300 रूपये	200 रूपये
3		नगरीय स्थानीय निकाय के सीमा अंतर्गत वाहन चलाते समय या फिर खड़े वाहन से या फिर किसी वाहन से यात्रा करते समय किसी सार्वजनिक या निजी सड़क या किसी सार्वजनिक या निजी परिसर में अपशिष्ट डालना/ हजमा या	1000 रूपये	750 रूपये	500 रूपये	350 रूपये

		फेंकना। किसी ऐसे वाहन का चालक अपने वाहन पर यात्रा कर रहे यात्री को थूकने या फिर इस तरह से अपशिष्ट डालने/जमा करने और फेंकने नहीं देगा।				
4	क	प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण और भंडारण या बिक्री में लिप्त होना जो अपरोक्ष या परोक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या–ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और कानून के अधीन प्रतिबंधित/वर्जित है	उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर–अजैवीय निम्नीकरणयोग्य अपशिष्ट (विनियमन) अधिनियम, 2000, यथा संशोधित वर्ष 2018, के तहत अधिसूचना संख्या 1056/IX-7-18-29 (लखनऊ)/दिनांक 18. जुलाई 15,2018 के प्रावधानों के अनुसार यथा प्रस्तावित निर्दिष्ट जुर्माना/स्थलीय (ऑन स्पॉट) अर्थदंड			
	ख	प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो उपरोक्ष या परोझा रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या–ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और कानून के अधीन प्रतिबंधित/वर्जित है।	उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर–अजैवीय निम्नकीकरण योग्य अपशिष्ट (विनियमन) अधिनियम, 2000, यथा संशोधित वर्ष 2018, के तहत अधिसूचना संख्या 1056/IX-7-18-29 (लखनऊ)/दिनांक 18. जुलाई 15,2018 के प्रावधानों के अनुसार यथा प्रस्तावित निर्दिष्ट जुर्माना/स्थलीय (ऑन स्पॉट) अर्थदंड			
5		थूकना, पेशाब करना, मल त्यागना, जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार जमा करना जिससे कूड़े का बिखराव हो	250 रूपये	150 रूपये	100 रूपये	50 रूपये
6		किसी प्रकार के अपशिष्ट का दहन करना/उसे मिट्टी के अन्दर दबाना या फिर उसका दहन करने/मिट्टी के अन्दर दबाने का प्रयास करना या ऐसा करने में सहायता करना अथवा किसी मार्ग के किनारे, लैंडफिल या किसी निजी अथवा सार्वजनिक संपत्ति में किसी प्रकार के अपशिष्ट का	2000 रूपये	1500 रूपये	1200 रूपये	1000 रूपये

		निस्तारण दहन/मिट्टी के अन्दर दबाने के माध्यम से करना। यह प्रतिबंध सभी व्यक्तियों सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार, झाड़ू लगाने वालों या नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारी, संविदा पर रखे गये कर्मचारी, कूड़ा बिनने वाले, या ऐसी सभी व्यक्ति पर लागू होगा जो सड़कों, मार्गो और अन्य सार्वजनिक स्थानों के झाड़ू लगाने और स्वच्छता में कार्यरत हैं।				
7		बिना ढंके (अनकवर्ड) हुए किसी ट्रक या अन्य ऐसे वाहन को चलाना जो अपशिष्ट/कूड़े से भरा हो	2000 रूपये	1500 रूपये	1200 रूपये	1000 रूपये
8		मार्गो/सड़क/पार्क/सार्वजनिक स्थानों में अपने पालतू जानवरों को मल त्याग कराकर गंदगी फैलाने देना (टिप्पणीः यदि पालतू जानवर मल त्याग करता है तो उसके स्वामी को सड़क से मल अपने घर ले जाकर उसका निस्तारण फ्लश कर या सीवर में करना होगा अन्यथा उसे जुर्माना देना होगा)	500 रूपये	300 रूपये	200 रूपये	100 रूपये
9		किसी भी प्रकार के निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट का बरसाती पाने के गटर, सड़क के फुटपाथ, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाले खुले मैदानों और/या सार्वजनिक मार्गो के किनारे जमा करना या फैलाना	3000 रूपये	2500 रूपये	1500 रूपये	1000 रूपये
अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा पृथककरण, अपशिष्ट सौंपने और सग्रहण संबंधी उल्लघंनों हेतु अर्थदंड प्रावधान						
10		अपृथक्कृत शुष्क, गीले और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को प्रदान करना और उन्हें अगल–अलग	200 रूपये प्रतिमाह	150 रूपये प्रतिमाह	100 रूपये प्रतिमाह	50 रूपये प्रतिमाह

		पात्रों, कूड़ेदान में ना रखना (जुर्माने की राशि प्रतिमाह की दर से प्रयोक्त प्रभार शुल्क के अतिरिक्त होगी जो प्रतिमाह होगी जो प्रतिमाह अपशिष्ट जनित्र पर प्रभारित होता है)				
11		निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को अपृथक्कृत रूप में सौंपना (ऐसे प्रत्येक उल्लघंन हेतु)	2000 रूपये	1200 रूपये	750 रूपये	500 रूपये
12		बगवानी और उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छाल और कतरनों को अपृथकक्‍कृत रूप से सौंपने (ऐसे प्रत्येक उल्लघंन हेतु)	200 रूपये	100 रूपये	75 रूपये	50 रूपये
13		मत्सय, कुक्कुट, और मांस अपशिष्ट को अपृथक्कृत रूप से सौंपना (जुर्माने की राशि प्रतिमाह की दर से प्रयोक्ता प्रभार शुल्क के अतिरिक्त होगी जो प्रतिमाह अपशिष्ट उत्सर्जक पर प्रभारित होगा है)	750 रूपये प्रतिमाह	500 रूपये प्रतिमाह	300 रूपये प्रतिमाह	150 रूपये प्रतिमाह
14		थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा अपृथक्कृत को जमा करना एवं उसे अपृथक्कृत रूप में सौंपना (जुर्माने की राशि प्रति सप्ताह की दर से अधरोपित होगी जो मासिक रूप से निर्धारित किये गए प्रयोक्ता प्रभार शुल्क के अतिरिक्त अपशिष्ट उत्सर्जक पर प्रभारित होता है)	1000 रूपये प्रतिमाह	750 रूपये प्रतिमाह	500 रूपये प्रतिमाह	350 रूपये प्रतिमाह
15		नगरीय स्थानीय निकाय में बिना पंजीकरण कराये और बिना निकाय द्वारा अधिकृत हुए अपशिष्ट का संग्रहण	500 रूपये प्रति उल्लघंन	400 रूपये प्रति उल्लघंन	300 रूपये प्रति उल्लघंन	200 रूपये प्रति उल्लघंन

नालों/सीवर/सोक पिट से संबंधित प्रावधान						
16		निजी नालियों/सीवर लाइन द्वारा घरेलू मल/सीवेज/अपशिष्ट के किसी बरसाती पानी के निकाय हेतु निर्मित नाले, नालियों, सड़क खुले मैदान, जल प्रणाली, जलमार्गो, कृषि भूमि, अथवा अन्य किसी गैर निर्दिष्ट स्थान पर प्रवाहित करना या प्रवाहित करने का कारण बनना।	500 रूपये	300 रूपये	200 रूपये	100 रूपये
17		किसी ऐसे सामग्री को नाली के प्रवाह में आने देना जिससे नाली को क्षति पहुंचने की आशंका हो या फिर सार्वजनिक सीवर लाइन में उसके प्रवाह को बाधित करना	500 रूपये	300 रूपये	200 रूपये	100 रूपये
18		खुले नालों और/या मैनहोलों में किसी भी ऐसी सामग्री को जमा करना (फेंकना) या जमा करने देने (फेंके जाने देने) का कारण बनना जिसके कारण सीवर लाइनों में बाधा/जाम होने की स्थिति बने। यह प्रावधान नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए लागू है जो खुले नालों में सड़क की सफाई से निकला कूड़ा करकट, सेप्टिक टैंक से निकली गाद, अपशिष्ट उत्सर्जक के निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट आदि को फेंकते हैं या जमा करते हैं,	1000 रूपये	750 रूपये	500 रूपये	350 रूपये
19		किसी भी उद्योग, कुटीर (घरेलू) उद्योग, वधशालाओं और मांस बाजार, दुग्ध और पशुपालन, कार्यशाला या गैराज की गतिविधि की वजह से उत्सर्जित औद्योगिक अपशिष्ट अथवा अन्य	5000 रूपये	4000 रूपये	3000 रूपये	2000 रूपये

		किसी अपशिष्ट का बिना आवश्यक निर्दिष्ट उपचार किये हुए इसे सार्वजनिक सीवर/नालों में बहाना या फेंकना या बहाए जाने/फेंके जाने का कारण होना				
20		किसी भी कर्मचारी/ठेकेदार/एजेंट द्वारा उचित सुरक्षात्मक उपकरण और सुरक्षा उपयों के बिना किसी व्यक्ति को सेप्टेज, गंदे नाले, मलकुंड या कीचड़ में हाथ से संचालन (मैनुअल हैंडलिंग) कर कार्य करने की अनुमति देना	5000 रूपये	4000 रूपये	3000 रूपये	2000 रूपये
21		अपने स्वामित्व वाले परिसर अथवा स्वयं द्वारा नियंत्रित किसी भी परिसर में जल जमाव/ठहराव/अपशिष्ट डंपिंग/अस्वास्थ्यकर स्थिति /अस्वच्छ स्थितियों/दरार आदि होने स्थिति उत्पन्न देना जिससे वेक्टर प्रजनन अथवा उसके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो	5000 रूपये	4000 रूपये	3000 रूपये	2000 रूपये
		अन्य विशिष्ट अपराध				
22		विक्रय के स्थान पर किसी भी विक्रेता/फेरीवाले द्वारा अपृथक्कृत जैविक–निम्नीकरणीय या किसी अन्य प्रकार के अपशिष्ट रखना	25 रूपये प्रतिदिन	20 रूपये प्रतिदिन	15 रूपये प्रतिदिन	10 रूपये प्रतिदिन
23		यदि कोई भी व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जक कोई ऐसा आयोजन या जमावड़ा करता है जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं और आयोजन समाप्त होने के 4 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोजन स्थल को गंदा या अस्वच्छ रखता है	स्वच्छता हेतु जमा राशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी

24		यदि ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, आवासीय सोसाइटियां और थोक अपशिष्ट उत्त्सर्जकों जो कि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के बाहर रहते हैं और उनके द्वारा अपना अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं में फेंका/डाला जाता, ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, आवासीय सोसाइटियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों पर निर्धारित शुल्क के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा	1000 रूपये प्रतिदिन के उल्लघंन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आया व्यय	750 रूपये प्रतिदिन के उल्लघंन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आया व्यय	500 रूपये प्रतिदिन के उल्लघंन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आया व्यय	250 रूपये प्रतिदिन के उल्लघंन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आया व्यय
25		यदि शहरी स्थानीय निकायों के बाहर के अंचलों और सीमांत गांव/ग्राम पंचायतें द्वारा अपशिष्ट को शहरी स्थानीय निकाय की सीमा में फेंका/डाला जाता हैं तो ऐसे अंचल/पड़ोसी गांवों/ग्राम पंचायतों को निर्धारित शुल्क के हिसाब से अर्थदंड देना होगा	1000 रूपये प्रतिदिन के उल्लघंन हेतु+शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आया व्यय	750 रूपये प्रतिदिन के उल्लघंन हेतु+शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आया व्यय	500 रूपये प्रतिदिन के उल्लघंन हेतु+शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आया व्यय	250 रूपये प्रतिदिन के उल्लघंन हेतु+शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आया व्यय
26		इन नियमों के तहत वाहन, कूड़ेदान–अपशिष्ट पात्र, हाथ–गाड़ी, सामग्री पुर्नप्राप्ति सुविधा और उपकरण जो इन नियमों के तहत नगरीय निकाय अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए हों को बिना अनुमति के हटाना	2000 रूपये + क्षतिपूर्ति/अवसंरचना या कुछ भी हटाने गए को पुनः स्थापित करना/मरम्मत/प्रतिस्थापना में आया व्यय	1500 रूपये + क्षतिपूर्ति/अवसंरचना या कुछ भी हटाने गए को पुनः स्थापित करना/मरम्मत/प्रतिस्थापना में आया व्यय	1000 रूपये + क्षतिपूर्ति/अवसंरचना या कुछ भी हटाने गए को पुनः स्थापित करना/मरम्मत/प्रतिस्थापना में आया व्यय	500 रूपये + क्षतिपूर्ति/अवसंरचना या कुछ भी हटाने गए को पुनः स्थापित करना/मरम्मत/प्रतिस्थापना में आया व्यय
27		नदियों/जलाशयों/नालों/कैचमेंट क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण	3000 रूपये	2000 रूपये	1000 रूपये	500 रूपये
28		भंडारा या लंगर का आयोजन करने वाले यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह द्वारा आयोजन स्थल पर पृथककृत अपशिष्ट हेतु पात्र/कूड़ेदान न उपलब्ध कराना	2000 रूपये	1500 रूपये	1200 रूपये	1000 रूपये

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव